

अवकाश अवधि एवं स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी:-

क्र सं	अवकाश का नाम	अनुमन्य दिवसों की संख्या	आवेदक का पद नाम	स्वीकृतकर्ता का पदनाम
			1	2
1	आकस्मिक अवकाश	शिक्षाभित्र व अंश कालिक अनुदेशक—कमशः 11 व 10 दिवस प्रति संविदा वर्ष। अन्य समस्त को—14 दिवस प्रति कैलेन्डर वर्ष	प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक	खण्ड शिक्षा अधिकारी
			सहायक अध्यापक / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / शिक्षाभित्र / अंशकालिक अनुदेशक	4 दिवस तक प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक
			लिपिक संवर्ग	4 दिवस से अधिक खण्ड शिक्षा अधिकारी
			जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	
2	विकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश	सम्मुख स्तम्भ 3 में अंकित समस्त कार्मिक—सेवाकाल में 12 माह पूर्ण वेतन पर व 06 माह अर्द्ध वेतन पर	प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	42 दिवस तक खण्ड शिक्षा अधिकारी
				42 दिवस से अधिक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
			लिपिक संवर्ग	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
3	मातृत्व अवकाश	सम्मुख स्तम्भ 3 में अंकित समस्त महिला कार्मिक— 180 दिवस की दर से सेवाकाल में 2 बार।	प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / शिक्षाभित्र / अंशकालिक अनुदेशक / लिपिक संवर्ग	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
4	गर्भपात अवकाश	सम्मुख स्तम्भ 3 में अंकित समस्त महिला कार्मिक— 42 दिवस प्रति गर्भपात / गर्भसाव।	प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / लिपिक संवर्ग	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
5	बाल्य देखभाल अवकाश	सम्मुख स्तम्भ 3 में अंकित समस्त महिला कार्मिक—सेवाकाल में 2 वर्ष	प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / लिपिक संवर्ग	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
6	अर्जित/उपर्जित अवकाश	सम्मुख स्तम्भ 3 में अंकित समस्त कार्मिक— 1 दिवस प्रति सेवावर्ष	प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
		सम्मुख स्तम्भ 3 में अंकित समस्त कार्मिक—31 दिवस प्रति सेवावर्ष	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / लिपिक संवर्ग	
7	असाधारण अवकाश	सम्मुख स्तम्भ 3 में अंकित समस्त कार्मिक— सेवाकाल में 5 वर्ष	प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / लिपिक संवर्ग	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

अवकाश नियम

रमा शंकर शुक्ल
संयुक्त निदेशक

अवकाश नियमों को सरलता प्रदान करने के लिये, अवकाशों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली श्रेणी में वे अवकाश रखे जा सकते हैं जो मूलतः वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-दो (भाग 2 से 4) में वर्णित मूल एवं सहायक नियमों से संचालित होते हैं, तथा द्वितीय श्रेणी में वे अवकाश जो भिन्न प्रकार के हैं, यथा आकस्मिक अवकाश।

(I) वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-दो (भाग 2 से 4) के नियमों में उल्लिखित विभिन्न अवकाश

- 1— अर्जित अवकाश (Earned Leave)
- 2— निजी कार्य पर अवकाश (Leave on private affairs)
- 3— चिकित्सा अवकाश (Leave on Medical Certificate)
- 4— मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)
- 5— असाधारण अवकाश (Extra Ordinary Leave)
- 6— हास्पिटल अवकाश (Hospital Leave)
- 7— अध्ययन अवकाश (Study Leave)
- 8— विशेष विकलांगता अवकाश (Special Disability Leave)
- 9— लघुकृत अवकाश (Commututed Leave)

अवकाश सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

अवकाश का तात्पर्य यहाँ उपरोक्त वर्णित सभी अवकाशों से है जब तक कि स्पष्ट रूप से किसी अवकाश विशेष का उद्धरण न दिया गया हो।

अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी

विशेष विकलांगता अवकाश के अतिरिक्त मूल नियमों के अन्तर्गत देय अन्य अवकाश शासन के अधीनस्थ उन प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिन्हें राज्यपाल नियम या आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर दें। विशेष विकलांगता अवकाश राज्यपाल द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

मूल नियम 66

अराजपत्रित सरकारी सेवकों को विशेष विकलांगता अवकाश के अतिरिक्त मूल नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य कोई भी अन्य अवकाश उस प्राधिकारी द्वारा जिसका कर्तव्य उस पद को यदि वह रिक्त होता, भरने का होता या वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-दो (भाग 2 से 4) के भाग 4 (विवरण पत्र-4 के क्रम संख्या 5, 8 तथा 9) में उल्लिखित किसी अन्य निम्नतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिनिहित अधिकार सीमा के अधीन रहते हुए प्रदान किया जा सकता है।

सहायक नियम 35

(सपठित वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-एक का विवरण पत्र-14)

राजपत्रित अधिकारियों को अवकाश देने के लिए साधारणतया शासन की स्वीकृति की आवश्यकता है, किन्तु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-दो के भाग-4 (विवरण पत्र-4 के क्रम संख्या 6, 7, 8 व 9) में उल्लिखित किसी अन्य निम्नतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिनिहित अधिकार सीमा के अधीन रहते हुए प्रदान किया जा सकता है।

सहायक नियम 36

राजपत्रित अधिकारियों की सेवानिवृत्ति पर लेखे में जमा अर्जित अवकाश का नकदीकरण :-

उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।

शासनादेश संख्या: सा-4-1130 / दस-91-200-77 दिनांक 7, जनवरी 1992 के द्वारा सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश (240 दिन की अधिकतम सीमा तक) नकदीकरण स्वीकृत करने का अधिकार विभागाध्यक्षों को प्रतिनिधानित किये गये थे। शासनादेश संख्या—सा-4-438 / दस-2000-203-86, दिनांक 3 जुलाई, 2000 द्वारा 300 दिन तक का अर्जित अवकाश नकदीकरण विभागाध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रदत्त नियमित प्रमाण—पत्र के आधार पर तीन माह की अवधि तक का चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश प्रदान कर सकते हैं।

(शासकीय ज्ञाप संख्या—सा-4-1752 / दस-200(2)-77 दिनांक 20-6-1978)

प्रसूति अवकाश— संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा अथवा किसी ऐसे निम्नतर अधिकारी द्वारा जिसे इसके लिए अधिकार प्रतिनिहित किया गया हो, प्रदान किया जा सकता है।

सहायक नियम 153, 154

अवकाश केवल ड्यूटी देकर ही उपार्जित किया जाता है। इस नियम के लिए वाह्य सेवा में व्यतीत की गई अवधि को ड्यूटी माना जाता है, यदि ऐसी अवधि के लिए अवकाश वेतन के लिए अंशदान का भुगतान कर दिया गया हो।

मूल नियम 60

किसी अवकाश का दावा या मँग अधिकार स्वरूप नहीं किया जा सकता है। अवकाश लेने का दावा ऐसे नहीं किया जा सकता है जैसे कि वह एक अधिकार हो। जब इन सेवाओं की आवश्यकताएँ ऐसी अपेक्षा करती हों, तो किसी भी प्रकार के अवकाश को निरस्त करने या अस्वीकृत करने का अधिकार अवकाश प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित है। इस संबंध में अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी किसी अवकाश को जनहित में अस्वीकृत करने के लिए पूर्णतया सक्षम होता है।

मूल नियम 67

अवकाश साधारणतया कार्यभार छोड़ने से प्रारम्भ होता है तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के पूर्व दिवस को समाप्त होता है। अवकाश के प्रारम्भ होने के ठीक पहले व अवकाश समाप्ति के तुरन्त पश्चात पड़ने वाले रविवार व अन्य मान्यता प्राप्त अवकाशों को अवकाश के साथ उपभोग करने की स्वीकृति अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है। अवकाश का आरम्भ सामान्यतः उस दिन से माना जाता है जिस दिन संबंधित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा अपने कक्ष/कार्यालय का प्रभार हस्तान्तरित किया जाता है। इसी प्रकार अवकाश से लौटने पर प्रभार ग्रहण करने के पूर्व के दिवस को अवकाश समाप्त माना जाता है।

मूल नियम 68

बिना प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये कोई सरकारी सेवक अवकाश काल में कोई लाभप्रद व्यवसाय या नौकरी नहीं कर सकता है। नियमतः अवकाश काल में कोई भी राजकीय कर्मचारी अन्यत्र कोई सेवा धनोपार्जन के उद्देश्य से नहीं कर सकता जब तक कि इस संबंध में उसके द्वारा सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाये।

मूल नियम 69

जन सेवा के हित में अवकाशाधीन सेवक को वापस बुलाने का अधिकार

अवकाश से वापस बुलाने पर यात्रा भत्ता निम्न शर्तों के पूरा होने पर ही देय होगा—

- 1— यदि वह 60 दिन से अधिक के अवकाश पर गया हो तो कम से कम उसकी आधी अवधि का अवकाश निरस्त किया जाये।
- 2— यदि वह 60 दिन तक या उससे कम की अवधि के लिए अवकाश पर गया हो तो यदि कम से कम 30 दिन का अवकाश निरस्त कराया जाये।
- 3— जन सेवा के हित में अवकाश प्रदान करने वाले प्राधिकारी को अवकाशाधीन सरकारी सेवक को अवकाश का पूर्ण उपभोग किये बिना ड्यूटी पर वापस बुलाने का अधिकार है। वापसी के आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि ड्यूटी पर लौटना अवकाशाधीन सेवक की स्वेच्छा पर निर्भर है अथवा वह अनिवार्य है। यदि उक्त वापसी ऐच्छिक हो तो इस संबंध में कर्मचारी को किसी प्रकार की छूट अनुमत्य नहीं होगी, परन्तु यदि वापसी के लिए बाध्य किया जाता है तो उसे निम्नानुसार सुविधा ग्राह्य होगी— यदि अवकाश का उपयोग भारतवर्ष में ही किया जा रहा हो तो वापसी के लिए प्रस्थान के दिवस से उसे

उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।

ड्यूटी पर माना जायेगा एवं वापसी के लिए सामान्य यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा, परन्तु योगदान की तिथि तक उसे अवकाश वेतन ही देय होगा। **मूल नियम 70 (नियम 51, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-तीन)**

चिकित्सा अवकाश का उपभोग करने के उपरान्त किसी भी कर्मचारी को सेवा में योगदान करने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि उसके द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तात नहीं किया जाता। यदि सक्षम अधिकारी चाहे तो अस्वस्थता के आधार पर लिये गये किसी अन्य श्रेणी के अवकाश के मामले में भी उपरोक्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र माँग सकता है।

मूल नियम 71

यदि कोई राजकीय कर्मचारी अवकाश अवधि की समाप्ति के उपरान्त भी अनुपस्थित रहता है तो उसे ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के लिए कोई अवकाश वेतन देय नहीं होगा और उक्त अवधि को उसके अवकाश लेख से यह मानते हुए घटा दिया जायेगा जैसे कि उक्त अवधि अर्ध औसत वेतन पर देय अवकाश थी, जब तक अवकाश अवधि शासन द्वारा बढ़ा न दी गयी हो। अवकाशोपरान्त जानबूझकर सेवा से अनुपस्थिति मूल नियम 15 के प्रयोजन हेतु दुर्घटवाहार माना जायेगा।

मूल नियम 73

एक प्रकार के अवकाश के साथ/क्रम में दूसरे प्रकार के अवकाश की अनुमन्यता :-

किसी एक प्रकार के अवकाश को दूसरे प्रकार के अवकाश के साथ अथवा क्रम में स्वीकृत किया जा सकता है। **(मूल नियम 81 ख(6), 83(4), सहायक नियम-157-क(5) तथा 154)**

अवकाश वेतन

अर्जित अवकाश अथवा चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश पर जाने से ठीक पूर्व आहरित वेतन की दरों पर अवकाश वेतन अनुमन्य होता है। अवकाश अवधि में देय प्रतिकर भत्तों के भुगतान के संबंध में मूल नियम-93 तथा सहायक नियम 147, 149, 150 तथा 152 में व्यवस्था दी गई है। जो विशेष वेतन तथा प्रतिकर भत्ते किसी कार्य विशेष को करने के कारण देय होते हैं उन्हें अवकाश अवधि में देने का कोई औचित्य नहीं है परन्तु जो विशेष वेतन तथा भत्ते वैयक्तिक योग्यता के आधार पर देय होते हैं (स्नातकोत्तर भत्ता, परिवार कल्याण भत्ता, वैयक्तिक योग्यता भत्ता) अवकाश वेतन के साथ दिये जाने चाहिए। विशेष वेतन तथा अन्य भत्तों का भुगतान अवकाश अवधि के अधिकतम 120 दिन की सीमा तक अनुमन्य होगा।

शासनादेश संख्या-सा-4-296/दस-88-216-19 दिनांक 08-03-1988

अवकाश प्रदान करने वाले प्राधिकारी को अवकाश के प्रकार में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है।

मूल नियम 87-क तथा सहायक नियम 157 क से संबंधित राज्यपाल के आदेश सरकारी सेवक जिन्हें अवकाश प्रदान नहीं किया जा सकता :-

- 1— सरकारी सेवक को निलम्बन की अवधि में अवकाश प्रदान नहीं किया जा सकता। **मूल नियम 55**
- 2— सरकारी सेवक जिसे दुराचरण अथवा सामान्य अक्षमता के कारण सेवा से निकाला या हटाया जाना अपेक्षित हो को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए, यदि उस अवकाश के प्रभावस्वरूप निकाले या हटाये जाने की स्थिति स्थगित हो जाती हो। **सहायक नियम 101**

अवकाश प्रदान करना

अवकाश प्रार्थनापत्रों पर निर्णय करते समय सक्षम अधिकारी निम्न बातों का ध्यान रखेंगे—

क— कर्मचारी जिसके बिना उस समय सरलता से कार्य चलाया जा सकता है।

ख— अन्य कर्मचारियों के अवकाश की अवधि।

ग— पिछली बार लिये गये अवकाश से वापस आने के पश्चात् सेवा की अवधि।

घ— किसी आवेदक को पूर्व में स्वीकृत अवकाश से अनिवार्य रूप से वापस तो नहीं बुलाया गया।

ङ— आवेदक को पूर्व में जनहित में अवकाश अस्वीकृत तो नहीं किया गया। **सहायक नियम 99**

1— अर्जित अवकाश

अर्जित अवकाश स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार के सरकारी सेवकों द्वारा समान रूप से अर्जित किया जाता है, तथा समान शर्तों के अधीन उन्हें स्वीकृत किया जाता है।

मूल नियम 81-ख (1) सहायक नियम 157-क (1)

उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।

अवकाश अवधि व अर्जित अवकाश की प्रक्रिया

सरकारी सेवक के अर्जित अवकाष लेखों में पहली जनवरी को 16 दिन तथा पहली जुलाई को 15 दिन जमा किया जायेगा।

अवकाश का हिसाब लगाते समय दिन के किसी अंश को निकटतम दिन पर पूर्णाकित किया जाता है, ताकि अवकाश का हिसाब पूरे दिन के आधार पर रहे।

किसी एक समय जमा अवकाष का अवशेष शासनादेश संख्या: सा-4-392 / दस-94-203-86, दिनांक: 1, जुलाई 1999 के अनुसार सरकारी सेवकों के अवकाश खाते में अर्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा 300 दिन कर दी गयी है।

नियुक्त होने पर प्रथम छःमाही में सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर मास के लिए 2-1/2 (द्वाई) दिन प्रतिमास की दर से अवकाष पूर्ण दिन के आधार पर जमा किया जाता है। इसी प्रकार मृत्यु सहित किसी भी कारण से सेवा से मुक्त होने वाली छःमाही में सेवा में रहने के दिनांक तक की गई सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर मास के लिए 2-1/2 दिन प्रतिमास की दर से पूरे दिन के आधार पर अवकाष देय होता है।

जब किसी छःमाही में असाधारण अवकाश का उपभोग किया जाता है तो संबंधित सरकारी सेवक के अवकाश लेखे में अगली छःमाही के लिए जमा किये जाने वाला अर्जित अवकाश असाधारण अवकाश की अवधि के 1/10 की दर से 15 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए (पूरे दिन के आधार पर) कम कर दिया जाता है।

शासकीय ज्ञाप संख्या-सा-4-1071 एवं 1072 / दस-1992-201 / 76 दिनांक 21 दिसंबर 1992 मूल नियम 81 ख (1) एवं सहायक नियम 157-क (1)

अवकाष लेखा

अर्जित अवकाष के संबंध में सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे प्रपत्र-11 घ में रखे जायेंगे।

मूल नियम-81 ख (1) (8)

अर्जित अवकाष की एक बार में स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा

यदि सम्पूर्ण अवकाश भारत में व्यतीत किया जा रहा हो

— 120 दिन

यदि सम्पूर्ण अवकाश भारत के बाहर व्यतीत किया जा रहा हो

— 180 दिन

मूल नियम- 81 ख(दस) सहायक नियम 157(क)(1) (ग्यारह)

अवकाष वेतन

अवकास काल में सरकारी सेवक को अवकाश पर प्रस्थान के ठीक पहले प्राप्त होने वाले वेतन के बराबर अवकाश वेतन ग्राह्य होता है।

मूल नियम- 87-क (1) तथा सहायक नियम 157-क(6)(क)

शासनादेश संख्या-सा-4-1395 / दस-88-200-76 दिनांक 13-10-1988 द्वारा प्रतिस्थापित तथा दिनांक 1-4-1978 से प्रभावी

अवकाष वेतन अग्रिम का भुगतान

शासनादेश संख्या-ए-1-1668 / दस-3-1(4)-65 दिनांक 13 अक्टूबर 1978 के अनुसार सरकारी कर्मचारियों का उनके अवकाश पर जाने के समय अवकाश वेतन अग्रिम की धनराशि को भुगतान करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन दी जा सकती है:-

- 1— यह अग्रिम धनराशि कम से कम 30 दिन से अधिक की अवधि के केवल अर्जित अवकाश या निजी कार्य पर अवकाष के मामले में देय होगी ।
- 2— यह अग्रिम धनराशि ब्याज राहित होगी ।
- 3— अग्रिम की धनराशि अन्तिम बार लिये गये मासिक वेतन, जिसमें महँगाई भत्ता, अतिरिक्त महँगाई भत्ता (अन्य भत्ते छोड़कर) भी सम्मिलित होंगे, के बराबर होगी ।
- 4— उपरोक्त प्रस्तर एक में उल्लिखित अवकाश अवधि यदि 30 दिन से अधिक और 120 दिन से अधिक न हो तो उस दशा में भी पूरा अवकाश अवधि का, लेकिन एक समय में केवल एक माह का अवकाश वेतन अग्रिम उपरोक्त प्रस्तर 3 में उल्लिखित दर से स्वीकृत किया जा सकता है ।
- 5— अवकाश वेतन अग्रिम से सामान्य कटौतियाँ कर ली जानी चाहिये ।

उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।

- 6— यह अग्रिम धनराशि स्थायी तथा अस्थायी सरकारी कर्मचारी को देय होगी। किन्तु अस्थायी कर्मचारी के मामले में यह धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-पाँच भाग-1 के पैरा 242 में दी गई अतिरिक्त शर्तों के अधीन मिलेगी।
- 7— राजपत्रित अधिकारियों को अग्रिम धनराशि लेने के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। भुगतान स्वीकृति के आधार पर किया जायेगा।
- 8— वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-पाँच भाग-1 के पैरा 249 (ए) के अधीन सरकारी कर्मचारियों के लिए अग्रिम धनराशियाँ स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी अवकाश वेतन का अग्रिम भी स्वीकृत कर सकता है। यह प्राधिकारी अपने लिए भी ऐसी अग्रिम धनराशि स्वीकृत कर सकता है।
- 9— इस पूरी अग्रिम धनराशि का समायोजन सरकारी कर्मचारी के अवकाश वेतन के प्रथम बिल से किया जायेगा। यदि पूरी अग्रिम धनराशि का समायोजन इस प्रकार नहीं हो सकता है तो शेष धनराशि की वसूली वेतन या अवकाश वेतन से अगले भुगतान के समय की जायेगी।

अर्जित अवकाश के लिए आवेदन पत्र

टिप्पणी : (1) कालम संख्या 1 से 10 तक की प्रविष्टियाँ सभी आवेदकों द्वारा (चाहे वे राजपत्रित अधिकारी हों अथवा अराजपत्रित कर्मचारी हों), भरी जायेगी।

- 1— आवेदक का नाम
 2— लागू अवकाश नियम
 3— पदनाम
 4— विभाग / कार्यालय का नाम
 5— वेतन
 6— अवकाश किस दिनांक से किस दिनांक तक अपेक्षित है तथा उसकी प्रकृति
 7— अवकाश माँगे जाने का कारण
 8— पिछली बार अवकाश किस दिनांक से किस दिनांक तक लिया गया तथा उसकी प्रकृति
 9— अवकाश की अवधि में पता
 दिनांक आवेदक के हस्ताक्षर
 11— अग्रसारण अधिकारी की अभ्युक्ति / संस्तुति –
 हस्ताक्षर :
 पदनाम :
 12— फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड-दो, भाग-2 से 4 के सहायक नियम-81 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट।

उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।

(क) प्रमाणित किया जाता है कि फाइनेन्शियल हैंड बुक खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम/सहायक नियम के अधीन दिनांक से तक आवेदित अर्जित अवकाश देय है।

हस्ताक्षर :

पदनाम :

दिनांक

2- निजी कार्य पर अवकाश

निजी कार्य पर अवकाश अर्जित अवकाश की ही भाँति तथा उसके लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए 31 दिन 2 छःमाही किश्तों में जमा किया जाता है। नियुक्ति की प्रथम छःमाही तथा सेवा से पृथक होने वाली छःमाही के लिए, जमा होने वाले अवकाश का आगणन तथा असाधारण अवकाश के उपयोग करने पर अवकाश की कटौती विषयक प्रक्रिया भी वही है, जो अर्जित अवकाश के विषय में है।

अधिकतम अवकाश अवधि तथा देय अवकाश

स्थायी सरकारी सेवक

- 1— यह अवकाश 365 दिन तक की अधिकतम सीमा के अधीन जमा किया जाता है
- 2— सम्पूर्ण सेवाकाल में कुल मिलाकर 365 दिन तक का ही अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
- 3— किसी एक समय में स्वीकृत की जा सकने योग्य अधिकतम सीमा निम्नानुसार —
पूरा अवकाश भारत में व्यतीत किये जाने पर — 90 दिन
पूरा अवकाश भारत से बाहर व्यतीत किये जाने पर — 180 दिन

मूल नियम 81-ख (3)

शासकीय ज्ञाप संख्या—सा-4-1071 / दस-1992-2001 / 76 दिनांक 21 दिसम्बर 1992

अस्थायी सरकारी सेवक

सम्पूर्ण अस्थायी सेवाकाल में कुल मिलाकर 120 दिन तक का अवकाश प्रदान किया जा सकता है। अस्थायी सेवकों को निजी कार्य पर अवकाश तब तक स्वीकार नहीं होता जब तक कि उनके द्वारा दो वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी न कर ली गयी हो। अस्थायी सरकारी सेवकों के अवकाश खातों में निजी कार्य पर अवकाश किसी अवसर पर 60 दिन से अधिक जमा नहीं होगा।

किसी सरकारी सेवक को एक बार में निजी कार्य पर अवकाश स्वीकृत किये जाने की अधिकतम अवधि साठ दिन होगी।

अवकाश स्वीकृति आदेश में अतिशेष अवकाश इंगित किया जायेगा। सहायक नियम 157-क (3)
शासकीय ज्ञाप संख्या—सा-4-1072 / दस-1992-2001 / 76 दिनांक 21 दिसम्बर 1992

अवकाश लेखा

निजी कार्य पर अवकाश के संबंध में सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे प्रपत्र 11-ड; में रखे जायेंगे। सहायक नियम— 157-क(3)(दस)

अवकाश वेतन

निजी कार्य पर अवकाश काल में वह अवकाश वेतन मिलता है जो अर्जित अवकाश के लिए अनुमन्य होने वाले अवकाश वेतन की धनराशि के आधे के बराबर हो।

मूल नियम 87-क (2) तथा सहायक नियम 157-क(6) (ख)

3— चिकित्सा प्रमाण—पत्र पर अवकाश

उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।

स्थायी सेवक

सम्पूर्ण सेवाकाल में 12 माह तक का चिकित्सा प्रमाणपत्र पर अवकाश नियमों द्वारा निर्दिष्ट चिकित्सकों द्वारा प्रदान किये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र पर स्वीकार किया जा सकता है।

उपरोक्त 12 माह का अवकाष समाप्त होने के उपरान्त आपवादिक मामलों में चिकित्सा परिषद की संस्तुति पर सम्पूर्ण सेवाकाल में कुल मिलाकर 6 माह का चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाष और स्वीकार किया जा सकता है।

मूल नियम 81-ख (2)

अस्थायी सेवक

ऐसे अस्थायी सेवकों को जो तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय से निरन्तर कार्यरत रहे हों तथा नियमित नियुक्ति और अच्छे आचरण आदि शर्तों को पूरा करते हों स्थायी सरकारी सेवकों के ही समान 12 महीने तक चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश की सुविधा है, परन्तु 12 माह के उपरान्त स्थायी सेवकों को प्रदान किया जा सकने वाला 6 माह का अतिरिक्त अवकाश इन्हें अनुमन्य नहीं है।

शेष सभी अस्थायी सेवकों को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर सम्पूर्ण अस्थायी सेवाकाल में चार माह तक अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

प्राधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी की संस्तुति पर सक्षम अधिकारी द्वारा साठ दिन तक की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। इस अवधि से अधिक छुट्टी तब तक स्वीकृत नहीं की जा सकती, जब तक सक्षम अधिकारी को यह समाधान न हो जाये कि आवेदित छुट्टी की समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी के कार्य पर वापस आने योग्य हो जाने की समुचित सम्भावना है। यदि सरकारी कर्मचारी की बीमारी के उपचार के मध्य मृत्यु हो जाती है तो उसे सक्षम अधिकारी चिकित्सा अवकाष स्वीकृत करेगा यदि चिकित्सा अवकाश अन्यथा देय है।

मूल नियम-81-ख(2)(2), सहायक नियम-87

शासनादेश सं०-सा-४-५२५ / दस-९६-२०१ / ७६ टी०सी०, दिनांक १९-८-१९९६

अवकाश वेतन

- 1— स्थायी सेवकों तथा तीन वर्षों से निरन्तर कार्यरत अस्थायी सेवकों को 12 माह तक की अवधि तथा ऐष अस्थायी सेवकों को चार माह तक की अवकाष अवधि के लिये वह अवकाष वेतन अनुमन्य होगा, जो उसे अर्जित अवकाष का उपभोग करने की दषा में अवकाष वेतन के रूप में देय होता
- 2— स्थायी सेवकों को 12 माह का अवकाष समाप्त होने के उपरान्त देय अवकाष के लिये अवकाष की दषा में अनुमन्य अवकाष वेतन की आधी धनराषि अवकाष वेतन के रूप में अनुमन्य होती है।

मूल नियम 87-क (2)

बासकीय ज्ञाप संख्या-सा-४-१०७१ / दस-१९९२-२००१ / ७६ दिनांक 21 दिसम्बर 1992

चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों का निर्धारण

अधिकारी / कर्मचारी

प्राधिकृत चिकित्सक

समूह क के अधिकारी

- मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य/रोग से संबंधित विभाग के प्रोफेसर
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी
- राजकीय अस्पताल के प्रमुख/मुख्य/वरिष्ठ अधीक्षक
- राजकीय अस्पताल के मुख्य/वरिष्ठ कन्सल्टेंट/कन्सल्टेंट

समूह ख के अधिकारी

- मेडिकल कालेज के रोग से संबंधित विभाग के प्रोफेसर/रीडर
- राजकीय अस्पताल के प्रमुख/मुख्य/वरिष्ठ अधीक्षक
- राजकीय अस्पताल के मुख्य/वरिष्ठ कन्सल्टेंट/कन्सल्टेंट

उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।

समूह ग व घ के कर्मचारी – मेडिकल कालेज के रोग से संबंधित विभाग के रीडर/लेक्चरर
– राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों/सामुदायिक
स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत
समस्त श्रेणी के चिकित्साधिकारी

शासनादेश संख्या— 761 / 45-7-1947 दिनांक 22, अप्रैल 1987
शासनादेश संख्या— 865 / 5-7-949 / 76 दिनांक 6, मई 1988

अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सीय प्रमाण पत्र पर अवकाश या अवकाश के प्रसार के लिए दिये गये आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रपत्र पर किसी सरकारी चिकित्साधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र लगा होना चाहिए—

आवेदक के हस्ताक्षर.....

मैं श्री के मामले की सावधानी से व्यक्तिगत परीक्षा करने पर प्रमाणित करता हूं कि श्री जिनके हस्ताक्षर ऊपर दिये हुए हैं से पीड़ित है। रोग के इस समय वर्तमान लक्षण हैं /मेरी राय में रोग का कारण है। आज की तिथि तक गिनकर रोग की अवधि दिनों की है।

जैसा कि श्री से पूछने पर ज्ञात हुआ, रोग का पूर्ण विवरण निम्नलिखित है | मैं समझता हूं कि पूर्णरूप से स्वास्थ्य लाभ करने के लिये दिनांक से तक की अवधि के लिए इनकी ड्यूटी से अनुपस्थिति निरान्त आवश्यक है।

चिकित्साधिकारी
सहायक नियम 95

श्रेणी घ के सरकारी सेवकों के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश या अवकाश के प्रसार के लिए दिये गये आवेदन पत्र के समर्थन में अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी जिस प्रकार के प्रमाण पत्र को पर्याप्त समझें स्वीकार कर सकते हैं।

सहायक नियम 98

उस सरकारी कर्मचारी से जिसने भारत में चिकित्सीय प्रमाण पत्र पर अवकाश लिया हो ड्यूटी पर लौटने से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र पर स्वस्थता के प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी—

हम/मैं एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि हमने/मैंने विभाग के श्री की सावधानी से परीक्षा कर ली है और यह पता लगा है कि वह अब अपनी बीमारी से मुक्त हो गये हैं और सरकारी सेवा में ड्यूटी पर लौटने योग्य हैं।

हम/मैं यह भी प्रमाणित करते हैं/करता हूं कि उपयुक्त निर्णय पर पहुँचने से पूर्व हमने/मैंने मूल चिकित्सीय प्रमाणपत्र का तथा मामले के विवरण का (अथवा अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियों का) जिसके आधार पर अवकाश स्वीकृत किया गया था निरीक्षण कर लिया है तथा अपने निर्णय पर पहुँचने के पूर्व इन पर विचार कर लिया है।

सहायक नियम 43क

राजपत्रित अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश या उसके प्रसार के लिए सहायक नियम 89 में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाण—पत्र प्राप्त करना चाहिए। प्राधिकृत चिकित्सा—प्रमाण पत्र अवकाश या उसके प्रसार के लिये सहायक नियम 89 में उल्लिखित प्रपत्र में प्राप्त करना चाहिए। प्राधिकृत चिकित्साधिकारी यह प्रमाणित कर दें कि उनकी राय में प्रार्थी को चिकित्सा परिषद के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। जब प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र में सरकारी सेवक के चिकित्सा परिषद के समक्ष

उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।

उपस्थित होने की संस्तुति की जाय अथवा संस्तुत अवकाश की अवधि तीन माह से अधिक हो या तीन माह या उससे कम अवकाश को तीन माह से आगे बढ़ाया जाये तो संबंधित राजपत्रित सरकारी सेवक को उपरोक्त वर्णित प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के बाद अपने रोग के विवरण—पत्र की दो प्रतियाँ लेकर चिकित्सा परिषद के सम्मुख उपस्थित होना होता है।

सहायक नियम 89 तथा 90

सहायक नियम 91 के नीचे चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करते समय उल्लेख कर दिया जाना चाहिए कि संबंधित अधिकारी को ड्यूटी पर लौटने के लिए वांछित स्वस्थता प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के लिये पुनः परिषद के समक्ष उपस्थित होना है या वह उस प्रमाण पत्र को प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त कर सकता है।

4— मातृत्व (प्रसूति) अवकाश

प्रसूति अवकाश स्थायी अथवा अस्थायी महिला सरकारी सेवकों को निम्न दो अवसरों पर प्रत्येक के सम्मुख अंकित अवधि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है।

1— प्रसूति के मामलों में

प्रसूतावस्था पर अवकाश प्रारम्भ होने के दिनांक से 180 दिन तक।

अन्तिम बार स्वीकृत प्रसूति अवकाश के समाप्त होने के दिनांक से दो वर्ष व्यतीत हो चुके हों, तभी दुबारा प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

यदि किसी महिला सरकारी सेवक के दो या अधिक जीवित बच्चे हों तो उसे प्रसूति अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता, भले ही उसे अवकाश अन्यथा देय हो।

2— गर्भपात के मामले में

गर्भपात के मामलों में, जिसके अन्तर्गत गर्भश्राव भी है, प्रत्येक अवसर पर 6 सप्ताह तक। अवकाश के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया हो। गर्भपात/गर्भश्राव के प्रकरणों में अनुमन्य मातृत्व अवकाश के सम्बन्ध में अंकितम तीन बार अनुमन्य होने का प्रतिबन्ध शासन के पत्रांक संख्या—4—84/दस—90—216—79 दिनांक 3 मई 1990 द्वारा प्रसारित अधिसूचना के द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

मूल नियम 101 एवं सहायक नियम 153

शासनादेश सं0: जी—4—394—दस—216—79, दिनांक 4 जून 1990

प्रसूति अवकाश को किसी प्रकार के अवकाश लेखे में नहीं घटाया जाता है तथा अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता है।

सहायक नियम 156

अवकाश वेतन

प्रसूति अवकाश की अवधि में अवकाश पर प्रस्थान करने से ठीक पहले प्राप्त वेतन के बराबर अवकाश वेतन अनुमन्य होता है।

सहायक नियम 153

महिला सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश (Child care leave) की अनुमन्यता :—

- महिला सरकारी सेवक को सम्पूर्ण सेवाकाल में अंकितम 730 दिनों का बाल्य देखभाल अवकाश प्रसूति अवकाश की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगा।
- विशिष्ट परिस्थितियों यथा बीमारी तथा परीक्षा आदि में देखभाल हेतु संतान की 18 वर्ष की आयु होने की अवधि तक देय है।
- गोद ली गयी संतान के सम्बन्ध में भी यह अवकाश देय होगा।
- सम्बन्धित महिला कर्मचारी के अवकाश लेखे में उपार्जित अवकाश देय होते हुए भी बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य होगा।
- बाल्य देखभाल अवकाश को एक कलैण्डर वर्ष के दौरान तीन बार से अधिक नहीं दिया जायेगा।
- बाल्य देखभाल अवकाश को 15 दिनों से कम के लिये नहीं दिया जायेगा।
- बाल्य देखभाल अवकाश को साधारणतया परिवीक्षा अवधि के दौरान नहीं दिया जायेगा, ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ अवकाश देने वाला प्राधिकारी परिवीक्षार्थी की बाल्य देखभाल अवकाश की आवश्यकता के

उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई—मेल (ifmtr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।

बारे में पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो। इसे भी सुनिश्चित किया जायेगा कि परिवीक्षा अवधि के दौरान अवकाश दिया जा रहा है तो इस अवकाश की अवधि कम—से—कम हो।

- बाल्य देखभाल अवकाश को अर्जित अवकाश के समान माना जायेगा और उसी प्रकार से स्वीकृत किया जायेगा।
- यदि किसी महिला कर्मचारी द्वारा दिनांक 08-12-2008 के कार्यालय-ज्ञाप के जारी होने के पश्चात् बाल्य देखभाल के प्रयोजन हेतु अर्जित अवकाश लिया गया है तो उसके अनुरोध पर उक्त अर्जित अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश में समायोजित किया जा सकेगा।

(कार्यालय ज्ञाप संख्या—जी—2—2017 / दस—2008—216—79, दिनांक 08—12—2008, कार्यालय ज्ञाप संख्या—जी—2—573 / दस—2009—216—79, दिनांक 24—3—2009 तथा शासनादेश संख्या—जी—2—176 / दस—2011—216—79 दिनांक 11 अप्रैल, 2011)

5— असाधारण अवकाश

असाधारण अवकाश निम्न विषेष परिस्थितियों में स्वीकृत किया जा सकता है—

जब अवकाश नियमों के अधीन कोई अन्य अवकाश देय न हो।

अन्य अवकाश देय होने पर भी संबंधित सरकारी सेवक असाधारण अवकाश प्रदान करने के लिए आवेदन करे।

यह अवकाश लेखे से नहीं घटाया जाता है।

मूल नियम 85

स्थायी सरकारी सेवक

स्थायी सरकारी सेवक को असाधारण अवकाश किसी एक समय में **मूल नियम 18** के उपबन्धों के अधीन अधिकतम 5 वर्ष तक की अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकता है।

किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के क्रम में स्वीकृत किया जा सकता है। **मूल नियम 81-ख (6)**
अस्थायी सरकारी सेवक

अस्थायी सरकारी सेवक को देय असाधारण अवकाश की अवधि किसी एक समय में निम्नलिखित सीमाओं से अधिक न होगी—

- 3 मास
- 6 मास यदि संबंधित सरकारी सेवक ने तीन वर्ष की निरन्तर सेवा अवकाश अवधि सहित पूरी कर ली हो तथा अवकाश के समर्थन में नियमों के अधीन अपेक्षित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो।
- 18 मास— यदि संबंधित सरकारी सेवक ने एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो, और वह क्षय रोग अथवा कुष्ठ रोग का उपचार करा रहा हो।
- 24 मास— सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अवधि में 24 मास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए जनहित में भारत अथवा विदेश में अध्ययन करने के लिए इस प्रतिबन्ध के अधीन देय है कि संबंधित सेवक ने तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है।

सहायक नियम 157क (4)

अवकाश वेतन

असाधारण अवकाश की अवधि के लिए कोई अवकाश वेतन देय नहीं है।

मूल नियम 85, 87(क) (4) एवं सहायक नियम 157क(6) (ग)

6— चिकित्सालय अवकाश

अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों को, जिनकी ड्यूटी में दुर्घटना या बीमारी का विशेष खतरा हो, अस्वस्थता के कारण अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

मूल नियम 101

चिकित्सालय अवकाश उस प्राधिकारी के द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिसका कर्तव्य उस पद को (यदि वह रिक्त हो) भरने का होता है।

यह अवकाश उन्हीं सरकारी सेवकों को देय हैं जिनका वेतन रु0 1180 प्रति मास से अधिक न हो। (पुराने वेतनमान में)

उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।

ऐसे समस्त स्थायी अथवा अस्थायी सरकारी सेवकों, जिन्हें अपने कर्तव्यों के कारण खतरनाक मशीनरी, विस्फोटक पदार्थ, जहरीली गैसों अथवा औषधियों आदि से काम करना पड़ता है अथवा जिन्हें अपने कर्तव्यों, जिनका उल्लेख सहायक नियम 155 के उप नियम (5) में है के कारण दुर्घटना अथवा बीमारी का विशेष जोखिम उठाना पड़ता है, को षासकीय कर्तव्यों के परिपालन के दौरान दुर्घटना या बीमारी से ग्रसित होने पर चिकित्सालय / औषधालय में भर्ती होने पर अथवा वाह्य रोगी के चिकित्सा कराने हेतु प्रदान किया जाता है।

यह अवकाश चाहे एक बार में लिया जाये अथवा किश्तों में किसी भी दृष्टि में तीन वर्ष की कालावधि में छः माह से अधिक स्वीकृत नहीं की जायेगी।

चिकित्सालय अवकाश को अवकाश लेखे से नहीं घटाया जाता है तथा इसे अन्य देय अवकाश से संयोजित किया जा सकता है, परन्तु शर्त यह है कि कुल मिलाकर अवकाश अवधि 28 माह से अधिक नहीं होगी।

सहायक नियम 155

सहायक नियम 156

अवकाश वेतन

चिकित्सालय अवकाश अवधि के पहले तीन माह तक के लिए वही अवकाश वेतन प्राप्त होता है जो वेतन अवकाश पर प्रस्थान करने के तुरन्त पूर्व प्राप्त हो रहा हो। तीन माह से अधिक की शेष अवधि के लिये गये अवकाश वेतन उक्त दर के आधे के हिसाब से दिया जाता है।

सहायक नियम 155 (3)

7— अध्ययन अवकाश

जन स्वास्थ्य तथा चिकित्सा, अन्वेषण, कृषि, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण तथा वन विभागों में कार्यरत स्थायी सरकारी सेवकों को जनहित में किन्हीं वैज्ञानिक, प्राविधिक अथवा इसी प्रकार की समस्याओं के अध्ययन या विशेष पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है।

यह अवकाश भारत में अथवा भारत के बाहर अध्ययन करने के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। जिन सरकारी सेवकों ने पाँच वर्ष से कम सेवा की हो अथवा जिन्हें सेवानिवृत्ति होने का विकल्प तीन या उससे कम समय में अनुमन्य हो, उनको अध्ययन अवकाश साधारणतया प्रदान नहीं किया जाता है।

असाधारण अवकाश या चिकित्सा प्रमाणपत्र पर अवकाश को छोड़कर अन्य प्रकार के अवकाश को अध्ययन अवकाश के साथ मिलाये जाने की दृष्टि से निर्धारित शर्तों के अधीन अध्ययन अवकाश साधारणतया प्रदान नहीं होनी चाहिए।

एक बार में बारह माह के अवकाश को साधारणतया उचित अधिकतम सीमा माना जाना चाहिए तथा केवल साधारण कारणों को छोड़कर इससे अधिक अवकाश किसी एक समय में नहीं दिया जाना चाहिए।

सम्पूर्ण सेवा अवधि में कुल मिलाकर 2 वर्ष तक का अध्ययन अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

अवकाश वेतन

अध्ययन अवकाश काल में अर्द्ध वेतन अनुमन्य होता है। **मूल नियम 84 एवं सहायक नियम 146क**

8— विषेष विकलांगता अवकाश

राज्यपाल किसी ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी सरकारी सेवक को जो किसी के द्वारा जानबूझ कर चोट पहुँचाने के फलस्वरूप अथवा अपने सरकारी कर्तव्यों के उचित पालन में या उसके फलस्वरूप चोट लग जाने अथवा अपनी अधिकारीय विधियों के परिणाम स्वरूप चोट लग जाने के कारण अस्थायी रूप में विकलांग हो गया हो, को विशेष विकलांगता अवकाश प्रदान कर सकते हैं।

अवकाश तभी स्वीकृत किया जा सकता है जबकि विकलांगता, उक्त घटना के दिनांक से तीन माह के अन्दर प्रकट हो गई हो तथा संबंधित सेवक ने उसकी सूचना तत्परता से यथा सम्भव शीघ्र दे दी हो। राज्यपाल विकलांगता के बारे में संतुष्ट होने की दृष्टि से घटना के तीन माह के पश्चात् प्रकट हुई विकलांगता के लिए भी अवकाश प्रदान कर सकते हैं।

उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।

किसी एक घटना के लिए एक बार से अधिक बार भी अवकाश प्रदान किया जा सकता है। विकलांगता बढ़ जाये अथवा भविष्य में पुनः वैसी ही परिस्थितियाँ प्रकट हो जाय तो अवकाश ऐसे अवसरों पर एक से अधिक बार भी प्रदान किया जा सकता है।

अवकाश चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर प्रदान किया जा सकता है तथा अवकाश की अवधि चिकित्सा परिषद द्वारा की गयी संस्तुति पर निर्भर रहती है, परन्तु यह चौबीस महीने से अधिक नहीं होगी।

अवकाश वेतन

चार महीने पूर्ण औसत वेतन तथा शेष अवधि में अर्द्ध औसत वेतन। **मूल नियम 83 तथा 83 क**

9— लघुकृत अवकाश

लघुकृत अवकाश अलग से कोई अवकाश नहीं है। मूल नियम 84 के अधीन उच्चतर वैज्ञानिक या प्राविधिक अर्हताएँ प्राप्त करने के लिए अध्ययन अवकाश पर जाने वाले स्थायी सरकारी सेवकों के विकल्प पर उनको निजी कार्य पर अवकाश स्वीकृत किये जाने योग्य जमा कुल अवकाश का आधा अवकाश लघुकृत अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है।

जितनी अवधि के लिये लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है उसकी दुगुनी अवधि उसके निजी कार्य पर अवकाश खाते में जमा अवकाश में से घटा दी जाती है। किसी एक बार स्वीकृत किये जाने वाले अवकाश की अधिकतम अवधि निजी कार्य पर अवकाश की स्वीकृत हेतु निर्धारित अधिकतम अवकाश के आधे के बराबर है।

यह अवकाश तभी स्वीकृत किया जायेगा जब स्वीकर्ता अधिकारी को यह समाधान हो जाये कि अवकाश समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी सेवा में वापस आयेगा।

यह अवकाश एषिया में 45 दिन तथा एशिया के बाहर 90 दिन तक एक बार में स्वीकृत किया जा सकेगा। **मूल नियम 81-ख (4)**

अवकाश वेतन

अर्जित अवकाश की तरह अवकाश पर जाने से ठीक पहले प्राप्त वेतन, अवकाश वेतन के रूप में अनुमन्य है। **मूल नियम 87-क(4)**

(II) मैनुअल आफ गर्वर्नमेंट आर्डर, उत्तर प्रदेश के अध्याय 142 के अधीन अवकाश

आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश तथा प्रतिकर अवकाश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-दो (भाग 2 से 4) के सहायक नियम 201 के अनुसार आकस्मिक अवकाश को अवकाश की मान्यता नहीं है और न यह किसी नियम के अधीन है। आकस्मिक अवकाश पर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से अनुपरिश्ट नहीं माना जाता और वेतन देय होता है।

मैनुअल आफ गर्वर्नमेंट आर्डर्स, उत्तर प्रदेश के अध्याय 142 में आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश और प्रतिकर अवकाश से संबंधित नियम दिये गये हैं।

प्रस्तर 1081 — आकस्मिक अवकाश के दौरान कार्य का उत्तरदायित्व

आकस्मिक अवकाश को मूल नियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए आकस्मिक अवकाश की अवधि में सरकारी सेवक सभी प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर माना जाता है।

आकस्मिक अवकाश के दौरान किसी प्रतिस्थानी की तैनाती नहीं की जायेगी।

यदि कार्यालय के कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान होता है तो आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी तथा लेने वाला कर्मचारी इसके लिए उत्तरदायी होगा।

प्रस्तर 1082— आकस्मिक अवकाश की सीमा

- एक कैलेण्डर वर्ष में सामान्यतया 14 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है।
- एक समय में 10 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए।

उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।

- आकस्मिक अवकाश के साथ रविवार एवं अन्य छुट्टियों को सम्बद्ध किये जाने की स्वीकृति दी जा सकती है।
- रविवार, छुट्टियों एवं अन्य अकारी दिवस यदि आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ते हैं तो उन्हें जोड़ा नहीं जायेगा।

विशेष आकस्मिक अवकाश

विशेष परिस्थितियों में कुछ दिन का विशेष अवकाश दिया जा सकता है। परन्तु इस अधिकार का प्रयोग बहुत कम और केवल उसी दशा में किया जाना चाहिए जबकि ऐसा करने के लिए पर्याप्त औचित्य हो।

शासनादेश सं: 1094 / बी-181 / 1957, दिनांक: 21 जुलाई, 1962

- 1— लिपिक वर्गीय कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य को दिए गए विशेष अवकाशों की सूचना सकारण प्रशासकीय विभाग को भेजनी होगी।
- 2— षा०सं० बी-820 / दो-बी-ज 55, दिनांक 27-12-1955 तथा एम०जी०ओ० का पैरा 882 व 1087 राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने के लिए चयनित खिलाड़ियों को 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है।
- 3— मान्यता प्राप्त सेवा संघों/परिसंघों के अध्यक्ष एवं सचिव को एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 07 दिन का तथा कार्यकारिणी के सदस्यों का अधिकतम 04 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देय होगा। कार्यकारिणी के उन्हीं सदस्यों को यह सुविधा अनुमन्य होगी जो बैठक के स्थान से बाहर से आये।

(शा०स०-1694 / का-1 / 83 दिनांक 5-7-83

तथा 1847 / का-4-ई-एक-81-83, दिनांक 4-10-83)

प्रस्तर 1083 – आकस्मिक अवकाश पर मुख्यालय छोड़ने की पूर्व अनुमति

आकस्मिक अवकाश लेकर मुख्यालय छोड़ने की दशा में सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अवकाश अवधि में पता भी सूचित किया जाना चाहिये।

प्रस्तर 1084 – समुचित कारण

आकस्मिक अवकाश समुचित कारण के आधार पर ही स्वीकृत किया जाना चाहिए।

सरकारी दौरे पर रहने की दशा में आकस्मिक अवकाश लेने पर उस दिन का दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं है।

प्रस्तर 1085 – सक्षम अधिकारी

आकस्मिक अवकाश केवल उन्हीं अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है जिन्हें शासनादेशों के द्वारा समय-समय पर अधिकृत किया गया है। किसी भी प्रकार का संशय होने पर अपने प्रशासनिक विभाग को सन्दर्भ भेजा जाना चाहिये।

प्रस्तर 1086 – आकस्मिक अवकाश रजिस्टर

आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा आकस्मिक अवकाश तथा निर्बन्धित अवकाश का लेखा निम्न प्रारूप पर अनिवार्य रूप से रखा जायेगा। इस रजिस्टर का परीक्षण निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।

कर्मचारी का नाम पदनाम	स्वीकृत किया गया आकस्मिक अवकाश 14 13 12 11	निर्बन्धित अवकाश 2 1

प्रस्तर 1087 – विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति

उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।

निम्नलिखित मामलों में सरकारी सेवकों को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था की गयी है—

- 1— विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य — यात्रा समय सहित बैठक की अवधि तक के लिये
- 2— परिवार नियोजन, नसबन्दी (पुरुष) — 6 कार्य दिवस
- 3— नसबन्दी (महिला) — 14 कार्य दिवस
- 4— वैज्ञानिकों, अधिकारियों को किसी — यात्रा समय सहित वर्कशाप की अवधि वर्कशाप/सेमिनार में घोड़ पत्र पढ़ने हेतु

प्रस्तर 1088 — भारतवर्ष से बाहर जाने के लिए अवकाश

भारतवर्ष से बाहर जाने के लिये आवेदित किये गये अवकाश (आकस्मिक अवकाश सहित) की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा शासन की पूर्वानुमति के नहीं दी जायेगी।

प्रस्तर 1089 — प्रतिकर अवकाश

- अराजपत्रित कर्मचारी को उच्चतर प्राधिकारी के आदेशों के अधीन छुटियों में अतिरिक्त कार्य को निपटाने के लिए बुलाये जाने पर प्रतिकर अवकाश दिया जायेगा।
- यदि कर्मचारी ने आधे दिन काम किया है तो उसे दो आधे दिन मिलाकर एक प्रतिकर अवकाश दिया जायेगा।
- अवकाश के दिन स्वेच्छा से आने वाले कर्मचारी को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- प्रतिकर अवकाश का देय तिथि से एक माह के अन्दर उपभोग कर लिया जाना चाहिये।
- यदि ज्यादा कर्मचारियों को प्रतिकर अवकाश दिया जाना है तो सरकारी कार्य में बाधा न पड़ने की दृष्टि से एक महीने की शर्त को शिथिल किया जा सकता है।
- दो दिन से अधिक प्रतिकर अवकाश एक साथ नहीं दिया जायेगा।
- आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी प्रतिकर अवकाश की स्वीकृति के लिए सक्षम है। यह अवकाश केवल अराजपत्रित कर्मचारियों को देय है।

संदर्भ :-

- ❖ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—दो (भाग 2 से 4) में वर्णित मूल नियम 58 से 104 एवं सहायक नियम 35 से 172
- ❖ उ0प्र0 फण्डमेन्टल (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1992
- ❖ उ0प्र0 सब्सीडियरी (अमेंडमेंट) नियमावली, 1992
- ❖ उ0प्र0 सब्सीडियरी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1996
- ❖ उ0प्र0 सब्सीडियरी (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1990
- ❖ समय समय पर निर्गत शासनादेश।

नोट :- अवकाश नियमों सम्बन्धी विस्तृत जानकारी हेतु मूल (Original) संदर्भित नियमों एवं शासनादेशों का अध्ययन करना चाहिये।

उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।




महानिदेशक, स्कूल शिक्षा

एवं

राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ - 226007

वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरध्वनि: 0522-4024440, 2780384, 2781128



शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़े राह चढ़े



प्रेषक,

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांक: महा०नि०/ एम०आई०एस०/ ६०५९, २०२४-२५ / दिनांक ३० सितम्बर, २०२४

विषय: बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्र कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या 479/68-5-23, दिनांक 02-05-2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्र कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक महा०नि०/स्कूल शिं०/12067/2022-23, दिनांक 01-03-2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन के सक्षम स्तर से अनुमोदन प्रदान किया गया है। तदक्रम में निम्नवत् निर्देश प्रदान किये जाते हैं—

1. किसी भी प्रकार के अवकाश प्रकरण के निस्तारण में स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
2. चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी अनुमन्य होंगे।
3. बाल्य देखभाल अवकाश एक बार में सामान्यतया अधिकतम 30 दिनों के लिये दिया जायेगा। चुनाव/आपदा/ जनगणना/बोर्ड परीक्षा ऊँटी अथवा विद्यालयी परीक्षाओं की अवधि व उससे 5 दिवस पूर्व की तिथियों हेतु प्राप्त बाल्य देखभाल अवकाश प्रकरणों को खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निस्तारित किया जायेगा। उक्त से भिन्न अवधियों हेतु प्राप्त बाल्य देखभाल अवकाश प्रकरणों (विद्यालय बन्द होने की स्थिति को छोड़कर) को खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से अग्रसारित किया जायेगा व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकृत किया जायेगा।
4. बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 20 फरवरी 1999 के अनुक्रम में बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्र कर्मियों को ग्रीष्मावकाश/शीतावकाश में सक्षम

Note: This document is only for the knowledge and bonafide use of the Department of Basic Education, UP Government. Any sharing, publication or reproduction of this document in print or digital form or communication of its contents in any other form by any unconnected person, body, Institute or third party without prior information and approval of the competent authority will be illegal & void ab initio and appropriate action shall be taken against him in accordance with relevant rules & regulations.

अधिकारी (शासन स्तर/राज्य स्तर) के आदेश पर कार्य किये जाने के सापेक्ष ही
अर्जित/उपार्जित अवकाश दिया जायेगा।

5. परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को निर्बन्धित अवकाश, प्रतिकर अवकाश व
अध्ययन अवकाश अनुमन्य नहीं हैं।

कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीया

Kanchan
(कंचन वर्मा)
महानिदेशक स्कूल शिक्षा

पृष्ठां: महानि० / एम.आई.एस. / 2024–25 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- शिक्षा निदेशक(बेसिक), शिक्षा निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- सचिव, उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज।
- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) समस्त मण्डल, उ०प्र०।
- खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खण्ड, उ०प्र०।

↙
(कंचन वर्मा)
महानिदेशक स्कूल शिक्षा



प्रेषक,

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांक: महार्जनी०/एम०आई०एस०/ / 2024-25/ दिनांक ३० सितम्बर, 2024

विषय: बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक बेसिक शिक्षा अनुभाग-५ के शासनादेश संख्या 479/68-5-23, दिनांक 02-05-2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक महार्जनी०/स्कूल शिर०/12067/2022-23, दिनांक 01-03-2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन के सक्षम स्तर से अनुमोदन प्रदान किया गया है। तदूकम में निम्नवत् निर्देश प्रदान किये जाते हैं—

1. किसी भी प्रकार के अवकाश प्रकरण के निस्तारण में स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
2. चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी अनुमन्य होंगे।
3. बाल्य देखभाल अवकाश एक बार में सामान्यतया अधिकतम 30 दिनों के लिये दिया जायेगा। चुनाव/आपदा/जनगणना/बोर्ड परीक्षा ऊँटी अथवा विद्यालयी परीक्षाओं की अवधि व उससे 5 दिवस पूर्व की तिथियों हेतु प्राप्त बाल्य देखभाल अवकाश प्रकरणों को खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निस्तारित किया जायेगा। उक्त से भिन्न अवधियों हेतु प्राप्त बाल्य देखभाल अवकाश प्रकरणों (विद्यालय बन्द होने की स्थिति को छोड़कर) को खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से अग्रसारित किया जायेगा व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकृत किया जायेगा।
4. बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 20 फरवरी 1999 के अनुकम में बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को ग्रीष्मावकाश/शीतावकाश में सक्षम

अधिकारी (शासन स्तर/राज्य स्तर) के आदेश पर कार्य किये जाने के सापेक्ष ही
अर्जित/उपर्जित अवकाश दिया जायेगा।

5. परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को निर्बन्धित अवकाश, प्रतिकर अवकाश व
अध्ययन अवकाश अनुमन्य नहीं हैं।

कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।


भवदीया


(कंचन वर्मा)
महानिदेशक स्कूल शिक्षा

पृ०सं०: महानि०/एम.आई.एस./ ६०५७/ २०२४-२५ तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, बैसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक(बैसिक), शिक्षा निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
3. सचिव, उ० प्र० बैसिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बैसिक) समस्त मण्डल, उ०प्र०।
5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खण्ड, उ०प्र०।


(कंचन वर्मा)
महानिदेशक स्कूल शिक्षा

प्रेषक,

कृषिकेश दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-५

विषय: बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को देय
विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक महानिदेशक/स्कूल शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन से अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त आएके उक्त पत्र दिनांक 01-03-2023 द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त अनुमोदन के अनुपालन में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

२/
(कृषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक(बेसिक) ३०प्र०, लखनऊ
- 2- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
- 3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
संयुक्त सचिव।




महानिदेशक, स्कूल शिक्षा

एवं

राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समय शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226007

वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128



सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़े सब बढ़े



प्रेषक,

महानिदेशक
स्कूल शिक्षा, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

सचिव,
बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0,
प्रयागराज।

पत्रांक: महा0नि0/एम.आई.एस./ 2023-24 दिनांक: ०१ मई, 2023

विषय: बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या 479/68-5-2023 दिनांक 02 मई, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जोकि बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के सम्बन्ध में है। उक्त शासनादेश के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक महा0नि0/स्कूल शि0/12067/2022-23 दिनांक 01/03/2023 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सक्षम स्तर पर द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि प्रस्ताव में उल्लिखित बिन्दुओं को समाहित करते हुए परिषद् स्तर से जनपदों हेतु कार्यकारी आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न—उक्तवत्

भवदीय,

(विजय किरन आनन्द)
महानिदेशक स्कूल शिक्षा

पृ०सं०: महा0नि0/एम.आई.एस./ १६५६ / 2023-24 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. शिक्षा निदेशक(बेसिक), बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

(विजय किरन आनन्द)
महानिदेशक स्कूल शिक्षा

479/68-5-2023

प्रेषक,

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा, ८०प्र० लखनऊ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वैसिक शिक्षा विभाग,
उ०प्र० शासन।

पत्रांक: महानिदेशक/स्कूल शिक्षा/ 1206/ 2022-23, दिनांक - 01.03.2023

विषय: वैसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्र कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,


अवगत करना है कि वैसिक शिक्षा अनुभाग-५ के शासनादेश संख्या: 785/68-5-2019, दिनांक 02 सितम्बर, 2019 के द्वारा वैसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, अनुच्छरों के अवकाश प्रक्रिया तथा सेवा पुस्तिका का ऑनलाइन रख-रखाक किए जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। वैसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्र कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों व उनकी प्रक्रिया में एकरूपता, पारदर्शिता व सरलीकरण हेतु कार्यालय के पत्रांक 2865 दिनांक 26 जुलाई, 2022 द्वारा समिति गठित की गयी। समिति द्वारा विभिन्न हित शासकों से विचार-विमर्श-उपरोक्त संस्तुतियां प्रस्तुत की गई हैं (प्रति संलग्न)। समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों के क्रम में प्रमुख संशोधन निम्नवत प्रस्तावित हैं-

क्र०सं०	वर्तमान प्राविधान	प्रस्तावित प्राविधान
1	समस्त प्रकार के अवकाश प्रकरणों में स्टाम्प ऐपर पर शपथ पत्र लिया जाता है।	समस्त प्रकार के अवकाश प्रकरणों में स्टाम्प ऐपर पर शपथ पत्र सम्बन्धी व्यवस्था समाप्त किया जाना।
2	चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों का निर्धारण में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को शामिल किया जाता है।	चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों का निर्धारण में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को शामिल किया जाना।
3	बाल्य देखभाल अवकाश एक बार में स्वीकृति हेतु अधिकतम दिनों की संख्या निर्धारित नहीं है।	बाल्य देखभाल अवकाश एक बार में सामान्यतया अधिकतम 30 दिनों के लिये दिया जाना। चुनाव/आपदा/जनगणना/बोर्ड परीक्षा ड्यूटी अथवा विद्यालयी परीक्षाओं की अवधि व उससे 5 दिवस पूर्व की तिथियों हेतु प्राप्त बाल्य देखभाल अवकाश प्रकरणों को खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निरतारित किया जायेगा। उक्त से भिन्न अवधियों हेतु प्राप्त बाल्य देखभाल अवकाश प्रकरणों (विद्यालय बन्द होने की स्थिति को छोड़कर) को खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से अग्रसारित किया जायेगा व जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकृत किया जायेगा।
4	वैसिक शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 20 फरवरी 1999 के अनुसार वैसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्र कर्मियों को ग्रीष्मावकाश/शीतावकाश में सक्षम अधिकारी के आदेश पर कार्य किये जाने के सापेक्ष अर्जित/उपार्जित अवकाश दिया जाता है। सक्षम अधिकारी निर्धारित नहीं है।	वैसिक शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 20 फरवरी 1999 के अनुसार वैसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्र कर्मियों को ग्रीष्मावकाश/शीतावकाश में सक्षम अधिकारी (शासन स्तर/राज्य स्तर) के आदेश पर कार्य किये जाने के सापेक्ष अर्जित/उपार्जित अवकाश दिया जाना।

5	वर्तमान में प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किए जा रहे हैं।	परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को निर्वन्धित अवकाश, प्रतिकर अवकाश व अध्ययन अवकाश अनुमत्य नहीं होता।
---	---	---

अतः बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया का सरलीकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि शासन कृपया अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करे।

संलग्नक: उक्तवत्।

महादीय,

 (विजय कुमार आनन्द)
 महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,
 उ०प्र०, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्र कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव—

अवगत कराना है कि बेसिक शिक्षा अनुभाग—5 के शासनादेश संख्या: 785 / 68-5-2019, दिनांक 02 सितम्बर, 2019 के द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों, शिक्षाभित्रों, अनुदेशकों, अनुचरों के अवकाश प्रक्रिया तथा सेवा पुस्तिका का ऑनलाइन रख-रखाव किए जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्र कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने की आवश्यकता है।

परिषदीय समस्त शिक्षक व शिक्षणेत्र कर्मी को वित्तीय नियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकार के अवकाश अनुमन्य किये जाने हैं जिनका उपयोग निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जा सकता है। समस्त प्रकार के अवकाशों का निरस्तारण मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।

1—आकस्मिक अवकाश

आकस्मिक अवकाश के दौरान कार्य का उत्तरदायित्वः— आकस्मिक अवकाश मूल नियमों के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है इसलिए आकस्मिक अवकाश की अवधि में सम्बन्धित कर्मी सभी प्रयोजनों के लिए छूटूटी पर माना जाता है। आकस्मिक अवकाश के दौरान किसी प्रतिस्थानी की तैनाती नहीं की जायेगी। यदि कार्यालय के कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है तो आकस्मिक अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी इसे निरस्त कर सकता है तथा सम्बन्धित कर्मी छूटूटी पर वापस बुला सकता है।

आकस्मिक अवकाश की सीमा—

- (i) एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 14 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है।
- (ii) एक बार में 6 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए।
- (iii) रविवार, छुट्टियों एवं अन्य अकार्य दिवस (Non Working Day) यदि आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ते हैं तो उन्हें आकस्मिक अवकाश में नहीं जोड़ा जायेगा।

विशेष आकस्मिक अवकाश

- शा०सं०, बी—820 / दो— बी—ज 55, दिनांक 27—12—1955 तथा एम०जी०ओ० के पैरा 882 के अनुसार राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने के लिए चयनित खिलाड़ियों को 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है।
- मान्यता प्राप्त सेवा संघों/परिसंघों के (जनपदीय व उच्च स्तरीय ईकाइयों के) अध्यक्ष एवं सचिव को संघ के कार्य के निमित्त एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 07 दिन का तथा कार्यकारिणी के सदस्यों को कार्यकारिणी बैठक में भाग लेने हेतु अधिकतम 04 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देय होगा। कार्यकारिणी के उन्हीं सदस्यों को यह सुविधा अनुमन्य होगी जो कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने हेतु बैठक के स्थान से बाहर से आये।
(शा०स०—1694 / का—1 / 83 दिनांक 5—7—83 तथा 1847 / का—4—ई—एक—81—83 दिनांक 4—10—83)

आकस्मिक अवकाश पर मुख्यालय छोड़ने की पूर्व अनुमति— आकस्मिक अवकाश लेकर मुख्यालय छोड़ने की दशा में सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अवकाश अवधि में पता एवं मोबाइल नम्बर भी सूचित किया जाना चाहिए।

समुचित कारण— आकस्मिक अवकाश समुचित कारण के आधार पर ही स्वीकृत किया जाना चाहिए।

ऑनलाइन अवकाश आवेदन व निस्तारण प्रक्रिया— अवकाश हेतु मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अधिकतम एक दिवस में एकल विद्यालय में वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति/अस्वीकृति, सक्षम स्तर द्वारा 3 कार्य दिवस के अन्दर की जायेगी।

2—चिकित्सा प्रमाण—पत्र पर अवकाश

स्थायी कर्मी— सम्पूर्ण सेवाकाल में 12 माह तक का चिकित्सा प्रमाण—पत्र पर अवकाश नियमों द्वारा निर्दिष्ट चिकित्सकों द्वारा प्रदान किये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र पर स्वीकृत किया जा सकता है।

उपर्युक्त 12 माह का अवकाश समाप्त होने के पश्चात आपवादिक मामलों में चिकित्सा परिषद की संस्तुति पर सम्पूर्ण सेवाकाल में कुल मिलाकर 6 माह का चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अतिरिक्त अवकाश और स्वीकृत किया जा सकता है।

अस्थायी कर्मी:—ऐसे कर्मी को जो तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय से निरन्तर कार्यरत रहे हों, नियुक्ति नियमित हो, कार्य एवं आचरण सन्तोषजनक हो, सत्यानिष्ठा प्रमाणित हो तथा उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित या विचाराधीन न हो, स्थायी कर्मी के ही समान 12 महीने तक चिकित्सा प्रमाण—पत्र पर अवकाश की सुविधा है, परन्तु 12 माह के पश्चात स्थायी कर्मी को प्रदान किया जा सकने वाला 6 माह का अतिरिक्त अवकाश इन्हें अनुमन्य नहीं है।

शेष सभी परिवीक्षाधीन कर्मी को चिकित्सा प्रमाण—पत्र के आधार पर सम्पूर्ण परिवीक्षाधीन सेवाकाल में चार माह तक अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

अवकाश वेतन:—

1— स्थायी कर्मी तथा तीन वर्षों से निरन्तर कार्यरत परिवीक्षाधीन कर्मी को 12 माह तक की अवधि तथा शेष परिवीक्षाधीन कर्मी को चार माह तक की अवकाश अवधि के लिये वह अवकाश वेतन अनुमन्य होगा, जो उसे अर्जित अवकाश का उपभोग करने की दशा में अवकाश वेतन के रूप में देय होता।

2— स्थायी कर्मी को 12 माह का अवकाश समाप्त होने के उपरान्त देय अवकाश के लिये अर्जित अवकाश की दशा में अनुमन्य अवकाश वेतन की आधी धनराशि अवकाश वेतन के रूप में अनुमन्य होती है। मूल नियम 87—क (2)

चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों का निर्धारण:

अधिकारी / कर्मचारी	प्राधिकृत चिकित्सक
समूह ग व घ के कर्मचारी	मेडिकल कालेज के रोग से संबंधित विभाग के रीडर/लेक्चरर। राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत समस्त श्रेणी के चिकित्साधिकारी। समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैविटशनर।

चिकित्सा प्रमाण—पत्र पर अवकाश या अवकाश के विस्तार के लिए दिये गये आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र पर चिकित्सक द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र लगा होना चाहिए। —

स्वस्थता प्रमाण पत्र (Fitness Certificate):—चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश का उपभोग करने के उपरान्त किसी भी कर्मचारी को सेवा में योगदान करने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि उसके द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अपना स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता। यदि सक्षम अधिकारी चाहे तो अस्वस्थता के आधार पर लिये गये किसी अन्य प्रकार के अवकाश के मामले में भी उपर्युक्त स्वस्थता प्रमाण पत्र माँग सकता है।

3 माह या अधिक का चिकित्सा प्रमाण—पत्र पर अवकाश चिकित्सा परिषद की संस्तुति उपरान्त स्वीकृत किया जाएगा।

ऑनलाइन अवकाश आवेदन व निस्तारण प्रक्रिया:—

- मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन अवकाश आवेदन हेतु आवेदन—पत्र व चिकित्सीय प्रिस्क्रिप्शन प्रणाली में अपलोड किया जा सकेगा। सम्बंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी आवश्यकतानुसार एकल विद्यालयों में वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। चिकित्सा प्रमाण—पत्र अपलोड होने के 3 दिवस में खण्ड शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जायेगा।
- अवकाश अवधि 42 दिवस से अधिक (एक बार में ही अथवा लगातार अवकाश अवधि जोड़कर) होने की स्थिति में प्रकरण को खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। 3 दिवस में जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जायेगा।
- जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित कार्मिकों के आवेदन पत्र अपलोड होने के 3 दिवस के भीतर जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जायेगा।
- चिकित्सीय अवकाश समाप्त होने के पश्चात ऑनलाइन ज्वाइनिंग अनिवार्य रूप से, स्वस्थता प्रमाण—पत्र (Fitness Certificate) पोर्टल पर अपलोड करते हुए की जाएगी।

3— मातृत्व अवकाश

मातृत्व अवकाश स्थायी अथवा परिवीक्षाधीन महिला सरकारी सेवकों को निम्नांकित दो अवसरों पर निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है—

1— प्रसूति के मामलों में—

- यह अवकाश सम्पूर्ण सेवाकाल में दो बार अनुमन्य है।
- प्रसूतावस्था पर अवकाश प्रारम्भ होने के दिनांक से 180 दिन तक अवकाश देय है। अन्तिम बार स्वीकृत अवकाश के समाप्त होने के दिनांक से दो वर्ष व्यतीत हो चुके हो तभी द्वारा यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। परंतु वर्तमान में रिट याचिका संख्या 32394 / 2019 व अन्य में पारित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 2 वर्ष के अंतर की बाध्यता को शिथिल करते हुये अवकाश स्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में कार्यालय के पत्रांक 4451 दिनांक 13 सितम्बर, 2022 के द्वारा प्रस्ताव प्रेषित है। अतः 2 वर्ष के अंतर की बाध्यता को शिथिल करते हुये अवकाश स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।
- यदि किसी महिला सरकारी सेवक के दो या दो से अधिक जीवित बच्चे हो तो उसे यह अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता, भले ही उसे अवकाश अन्यथा देय हो। यदि महिला सरकारी सेवक के दो जीवित बच्चों में से कोई भी बच्चा जन्म से किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो या दिव्यांग या अपंग हो अथवा बाद में इन बीमारियों/विकृतियों से ग्रस्त हो जाये तो सम्पूर्ण सेवाकाल में दो बार अनुमन्यता की शर्तों के अधीन रहते हुए उसे अपवादस्वरूप एक अतिरिक्त मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

ऑनलाइन अवकाश आवेदन व निस्तारण प्रक्रिया—

- मानव सम्पदा पोर्टल पर अवकाश हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदन—पत्र, चिकित्सा प्रमाण—पत्र, कोई बच्चा न होने अथवा एक से अनधिक बच्चा न होने का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण—पत्र प्रणाली में अपलोड किया जायेगा। यथास्थिति दो जीवित बच्चों में से कोई भी बच्चा जन्म से किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो या दिव्यांग या अपंग हो अथवा बाद में इन बीमारियों/विकृतियों से ग्रस्त हो जाये तो स्वीकृत करने की शर्तों के अधीन रहते हुए उसे अपवादस्वरूप एक अतिरिक्त आवेदन आवश्यकता नहीं होगी। सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी आवश्यकतानुसार एकल विद्यालयों में वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। आवेदन पत्र अपलोड होने के 3 दिवस में खण्ड शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जायेगा।
- जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित कार्मिकों के आवेदन पत्र अपलोड होने के 3 दिवस के भीतर जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जायेगा।

2— गर्भपात एवं गर्भसाव के मामलों में—

गर्भपात के मामलों में जिसके अन्तर्गत गर्भसाव भी है, प्रत्येक अवसर पर 6 सप्ताह का अवकाश देय है। अवकाश के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रदत्त साक्ष्य संलग्न होना चाहिए।

मातृत्व अवकाश को किसी प्रकार के अवकाश लेखे से नहीं घटाया जाता है तथा अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता है।

अवकाश वेतनः—मातृत्व अवकाश की अवधि में अवकाश पर प्रस्थान करने से ठीक पहले प्राप्त वेतन के बराबर अवकाश वेतन अनुमन्य होता है।

ऑनलाइन अवकाश आवेदन व निस्तारण प्रक्रिया—

- मानव सम्पदा पोर्टल पर अवकाश हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदन—पत्र व चिकित्सा प्रमाण—पत्र प्रणाली में अपलोड किया जायेगा। स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी आवश्यकतानुसार एकल विद्यालयों में वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। आवेदन पत्र अपलोड होने के 3 दिवस में खण्ड शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा।

अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जायेगा। प्रकरण को खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। 3 दिवस में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित कार्मिकों के आवेदन पत्र अपलोड होने के 3 दिवस के भीतर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जायेगा।

4—बाल्य देखभाल अवकाश

- महिला सरकारी सेवक को चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी, सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 730 दिनों का बाल्य देखभाल अवकाश मातृत्व अवकाश की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगा।
- यह अवकाश विशिष्ट परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी तथा परीक्षा आदि में देखभाल हेतु संतान की आयु 18 वर्ष होने की अवधि तक देय है। समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण—पत्र मान्य होगा।
- गोद ली गयी संतान के सम्बन्ध में भी यह अवकाश देय होगा। यह अवकाश दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए ही अनुमन्य होगा।
- सम्बन्धित महिला कर्मचारी के अवकाश लेखे में उपार्जित अवकाश देय होते हुए भी बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य होगा।
- बाल्य देखभाल अवकाश एक बार में सामान्यतया अधिकतम 30 दिनों के लिये दिया जायेगा। अवकाश उपभोग कर कार्यभार ग्रहण उपरान्त पुनः अवकाश दिया जा सकेगा। बाल्य देखभाल अवकाश एक कलेण्डर वर्ष के दौरान तीन बार से अधिक नहीं दिया जायेगा।
- बाल्य देखभाल अवकाश को 15 दिनों से कम के लिये नहीं दिया जायेगा।
- बाल्य देखभाल अवकाश को साधारणतया परिवीक्षा अवधि के दौरान नहीं दिया जायेगा विशेष परिस्थितियों में यदि परिवीक्षाधीन महिला सरकारी सेवक को बाल्य देखभाल अवकाश स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पड़ती है तो यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दिये जाने वाले अवकाश की अवधि कम से कम हो।
- बाल्य देखभाल अवकाश को अर्जित अवकाश के समान माना जायेगा और उसी प्रकार से स्वीकृत किया जायेगा।
- चुनाव/आपदा/जनगणना/बोर्ड परीक्षा ड्यूटी अथवा विद्यालयी परीक्षाओं की अवधि व उससे 5 दिवस पूर्व की तिथियों हेतु प्राप्त बाल्य देखभाल अवकाश प्रकरणों को खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विचारोपरान्त निस्तारित किया जायेगा। उक्त से भिन्न अवधियों हेतु प्राप्त बाल्य देखभाल अवकाश प्रकरणों (विद्यालय बन्द होने की स्थिति को छोड़कर) को खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से अग्रसारित किया जायेगा। परन्तु सम्बन्धित कार्मिक अवकाश अवधि में राज्य स्तर से निर्धारित समयबद्ध लक्ष्यों की प्राप्ति के उत्तरदायित्व से मुक्त न रहेगा।
- बाल्य देखभाल अवकाश के कारण विद्यालय बन्द होने की स्थिति में सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी विद्यालय संचालन हेतु वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तत्पश्चात ही प्रकरण को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था उपरान्त प्राप्त प्रकरणों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकृत किया जायेगा।
- एक ही विद्यालय से एक से अधिक शिक्षकों के आवेदन की स्थिति में बाल्य देखभाल अवकाश प्रकरण में प्रथम आगत प्रकरण को पहले निस्तारित किया जायेगा।

ऑनलाइन अवकाश आवेदन व निस्तारण प्रक्रिया:-

- मानव सम्पदा पोर्टल पर अवकाश हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय चिकित्सा प्रमाण—पत्र/परीक्षा सम्बन्धी साक्ष्य (परीक्षा कार्यक्रम) तथा अपनी समस्त संतानों के जन्म प्रमाण—पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति प्रणाली में अपलोड किया जायेगा। गोद ली गयी संतान के सम्बन्ध में अवकाश लेने पर गोदनामा की स्वहस्ताक्षरित प्रति प्रणाली में अपलोड की जायेगी। स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन पत्र अपलोड होने के 3 दिवस में खण्ड शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जायेगा। प्रकरण को खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। 3 दिवस में जिला

बेसिक शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जायेगा।

- ० जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित कार्मिकों के आवेदन पत्र अपलोड होने के 3 दिवस के भीतर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन किया जायेगा।

5— अर्जित अवकाश

अर्जित अवकाश स्थायी तथा परिवीक्षाधीन दोनों प्रकार के सरकारी सेवकों द्वारा समान रूप से अर्जित किया जाता है, तथा समान शर्तों के अधीन उन्हें स्वीकृत किया जाता है।

परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत समस्त प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष की पूर्ण सेवा पर 1 दिवस की दर से अर्जित किया जाता है।

ऐसे परिषदीय शिक्षक जो प्रतिनियुक्ति आदि पर ऐसे कार्यालय में कार्यरत हैं जहां पर कि उन्हें ग्रीष्मकालीन अवकाश देय नहीं है, उनके संबंध में ऐसे कार्यालय में कार्यरत रहने की अवधि में अर्जित अवकाश की गणना राजकीय कर्मचारियों की भांति की जाएगी।

अर्जित अवकाश की एक बार में स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा

- ० यदि सम्पूर्ण अवकाश भारत में व्यतीत किया जा रहा हो — 120 दिन
- ० यदि सम्पूर्ण अवकाश भारत के बाहर व्यतीत किया जा रहा हो — 180 दिन
- ० अवकाश की कुछ अवधि भारत में तथा कुछ अवधि भारत के बाहर व्यतीत किये जाने पर भी 180 दिन तक का अवकाश इस प्रतिबन्ध के अधीन स्वीकृत किया जा सकता है कि भारत के बाहर व्यतीत की गयी अवकाश अवधि 120 दिन से अधिक नहीं होगी।

अवकाश वेतनः——अवकाश काल में सरकारी सेवक को अवकाश पर प्रस्थान के ठीक पहले प्राप्त होने वाले वेतन के बराबर अवकाश वेतन ग्राह्य होता है।

ऑनलाइन अवकाश आवेदन व निस्तारण प्रक्रिया—

- ० मानव सम्पदा पोर्टल पर अवकाश हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय अवकाश मांगे जाने के कारण का साक्ष्य प्रणाली में अपलोड किया जायेगा। सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी आवश्यकतानुसार एकल विद्यालयों में वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। आवेदन पत्र अपलोड होने के 3 दिवस में खण्ड शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जायेगा। प्रकरण को खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित होने के उपरान्त 3 दिवस में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जायेगा।
- ० जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित कार्मिकों के आवेदन पत्र अपलोड होने के 3 दिवस के भीतर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जायेगा।

6— असाधारण अवकाश

असाधारण अवकाश निम्न विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत किया जा सकता है—

- (i) जब अवकाश नियमों के अधीन कोई अन्य अवकाश देय न हो।
- (ii) अन्य अवकाश देय होने पर भी संबंधित कार्मिक असाधारण अवकाश प्रदान करने के लिए आवेदन करे।

स्थायी कर्मी——को असाधारण अवकाश अधिकतम 5 वर्ष तक की अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकता है।

परिवीक्षाधीन कर्मी——को देय असाधारण अवकाश की अवधि किसी एक समय में निम्नलिखित सीमाओं से अधिक न होगी—

- 6 मास—यदि संबंधित सरकारी सेवक ने तीन वर्ष की निरन्तर सेवा अवकाश अवधि सहित पूरी कर ली हो तथा अवकाश के समर्थन में नियमों के अधीन अपेक्षित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।
- 18 मास—यदि संबंधित सरकारी सेवक ने एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो, और वह क्षय रोग अथवा कुष्ठ रोग का उपचार करा रहा हो तथा सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न किया हो।
- 24 मास—सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अवधि में 36 मास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए जनहित में भारत अथवा विदेश में अध्ययन करने के लिए इस प्रतिबन्ध के अधीन देय है कि संबंधित सेवक ने तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है।

अवकाश वेतनः—असाधारण अवकाश की अवधि के लिए कोई अवकाश वेतन देय नहीं है।

ऑनलाइन अवकाश आवेदन व निस्तारण प्रक्रिया:-

- अवकाश हेतु आवेदन करते समय आवेदन—पत्र व अवकाश मांगे जाने के कारण का साक्ष्य प्रणाली में अपलोड किया जायेगा। स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी आवश्यकतानुसार एकल विद्यालयों में वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। आवेदन पत्र अपलोड होने के 5 दिवस में खण्ड शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 5 दिवस के भीतर किया जायेगा। प्रकरण को खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। 5 दिवस में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 5 दिवस के भीतर किया जायेगा।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित कार्मिकों के आवेदन पत्र अपलोड होने के 5 दिवस के भीतर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 5 दिवस के भीतर किया जायेगा।

7—ग्रीष्मावकाश में कार्य के बदले अर्जित/उपार्जित अवकाश

सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र संख्या ब०शि०प०/३६३०१-६१३/९८-९९ दिनांक 20-2-1999 के द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्र कर्मियों को ग्रीष्मावकाश में सक्षम अधिकारी के आदेश पर कार्य किये जाने के सापेक्ष अर्जित/उपार्जित अवकाश दिए जाते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्र कर्मियों को ग्रीष्मावकाश/शीतावकाश में सक्षम अधिकारी (शासन स्तर/राज्य स्तर) के आदेश पर कार्य किये जाने के सापेक्ष अर्जित/उपार्जित अवकाश उक्त पत्र दिनांक 20 फरवरी 1999 के अनुसार देय हैं।

8—प्रतिकर अवकाश

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों से लिये जाने वाले निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य शिक्षकों से न कराये जायें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 200 कार्य दिवस तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम 220 कार्य दिवस की अनिवार्यता है। अतः प्रतिकर अवकाश अनुमन्य नहीं होगा।

9—निर्बन्धित अवकाश

कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को निर्बन्धित अवकाश दिए जाते हैं। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को निर्बन्धित अवकाश अनुमन्य नहीं हैं।

10—अध्ययन अवकाश

राजकीय कार्मिकों को कार्मिकों को अध्ययन अवकाश दिए जाते हैं। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को अध्ययन अवकाश अनुमन्य नहीं हैं।

अवकाश अवधि एवं स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी:-

क्र० सं०	अवकाश का नाम	अनुमन्य दिवसों की संख्या	आवेदक का पद नाम	स्वीकृतकर्ता का पदनाम
				1 2 3 4
1	आकस्मिक अवकाश	शिक्षामित्र व अंश कालिक अनुदेशक—कमशः 11 व 10 दिवस प्रति संविदा वर्ष। अन्य समस्त को—14 दिवस प्रति कैलेन्डर वर्ष	प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक	खण्ड शिक्षा अधिकारी
			सहायक अध्यापक / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / शिक्षामित्र / अंशकालिक अनुदेशक	4 दिवस तक प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक
			लिपिक संवर्ग	4 दिवस से अधिक खण्ड शिक्षा अधिकारी
2	चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश	सम्मुख स्तम्भ 3 में अंकित समस्त कार्मिक—सेवाकाल में 12 माह पूर्ण वेतन पर व 06 माह अर्द्ध वेतन पर	प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	42 दिवस तक खण्ड शिक्षा अधिकारी
			लिपिक संवर्ग	42 दिवस से अधिक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
			प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / शिक्षामित्र / अंशकालिक अनुदेशक / लिपिक संवर्ग	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
3	मातृत्व अवकाश	सम्मुख स्तम्भ 3 में अंकित समस्त महिला कार्मिक— 180 दिवस की दर से सेवाकाल में 2 बार।	प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / शिक्षामित्र / अंशकालिक अनुदेशक / लिपिक संवर्ग	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
4	गर्भपात अवकाश	सम्मुख स्तम्भ 3 में अंकित समस्त महिला कार्मिक— 42 दिवस प्रति गर्भपात / गर्भस्थाव।	प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / लिपिक संवर्ग	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
5	बाल्य देखभाल अवकाश	सम्मुख स्तम्भ 3 में अंकित समस्त महिला कार्मिक—सेवाकाल में 2 वर्ष	प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / लिपिक संवर्ग	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
6	अर्जित/उपार्जित अवकाश	सम्मुख स्तम्भ 3 में अंकित समस्त कार्मिक— 1 दिवस प्रति सेवावर्ष	प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
		सम्मुख स्तम्भ 3 में अंकित समस्त कार्मिक—31 दिवस प्रति सेवावर्ष	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / लिपिक संवर्ग	
7	असाधारण अवकाश	सम्मुख स्तम्भ 3 में अंकित समस्त कार्मिक— सेवाकाल में 5 वर्ष	प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / लिपिक संवर्ग	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

अवकाशों के सम्बन्ध में अन्य सामान्य निर्देशः—

अवकाश का दावा अधिकार के रूप में नहीं:—किसी अवकाश का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है। जब जन सेवाओं की अनिवार्यतायें ऐसी अपेक्षा करती हों, तो किसी भी प्रकार के अवकाश को निरस्त करने या अस्वीकृत करने का अधिकार अवकाश प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित है।

- (i) **अवकाश का प्रारम्भ एवं समाप्ति:**—अवकाश साधारणतया कार्यभार छोड़ने के दिन से प्रारम्भ होता है तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के पूर्व दिवस को समाप्त होता है। अवकाश के प्रारम्भ होने के ठीक पहले व अवकाश समाप्ति के तुरन्त पश्चात पड़ने वाले रविवार व अन्य मान्यता प्राप्त अवकाशों को अवकाश के साथ उपमोग करने की स्वीकृति अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है।
- (ii) **अवकाश अवधि में अन्य व्यवसायः**—सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना कोई सरकारी सेवक अवकाश काल में कोई लाभप्रद व्यवसाय या नौकरी नहीं कर सकता है।

- (iii) अवकाश समाप्ति के पूर्व छ्यूटी पर वापसी:-अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी सरकारी सेवक स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के 14 दिन से अधिक समय पूर्व छ्यूटी पर वापस नहीं लौट सकता है।
- (iv) अवकाश की समाप्ति के पश्चात् अनुपस्थिति:-यदि कोई कर्मचारी अवधि की समाप्ति के उपरान्त भी अनुपस्थित रहता है तो उसे ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के लिए कोई अवकाश वेतन देय नहीं होगा। अवकाशोपरान्त जानबूझकर सेवा से अनुपस्थिति मूल नियम 15 के प्रयोजन हेतु दुर्व्यवहार मानी जायेगी।
- (v) एक प्रकार के अवकाश के साथ/क्रम में दूसरे प्रकार के अवकाश की अनुमन्यता — किसी एक प्रकार के अवकाश को दूसरे प्रकार के अवकाश के साथ अथवा क्रम में स्वीकृत किया जा सकता है।
- (vi) अवकाश की प्रकृति में परिवर्तनः— अवकाश प्रदान करने वाले प्राधिकारी को अवकाश की प्रकृति में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है।
- (vii) अवकाश प्रदान करना:-अवकाश प्रार्थना पत्रों पर निर्णय करते समय सक्षम अधिकारी निम्नांकित बातों का ध्यान रखेंगे—
- क— कर्मचारी जिसके बिना उस समय सरलता से कार्य चलाया जा सकता है।
- ख— अन्य कर्मचारियों के अवकाश की अवधि।
- ग— पिछली बार लिये गये अवकाश से वापस आने के पश्चात् सेवा की अवधि।
- घ— किसी आवेदक को पूर्व में स्वीकृत अवकाश से अनिवार्य रूप से वापस तो नहीं बुलाया गया।
- ङ— आवेदक को पूर्व में जनहित में अवकाश अस्वीकृत तो नहीं किया गया।

सेवा में,

महानिदेशक
स्कूल शिक्षा, उ0प्र0,
लखनऊ।

**विषय—बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया
के सरलीकरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु कार्यालय के पत्रांक 2865 दिनांक 26 जुलाई, 2022 द्वारा गठित समिति द्वारा विभिन्न हित धारकों से विचार विमर्श उपरांत निम्नावत संस्तुतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत हैं—

परिषदीय समस्त शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मी को वित्तीय नियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकार के अवकाश अनुमन्य किये जाने हैं जिनका उपयोग निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जा सकता है। समस्त प्रकार के अवकाशों का लेखांकन मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।

1—आकस्मिक अवकाश

आकस्मिक अवकाश के दौरान कार्य का उत्तरदायित्वः—आकस्मिक अवकाश मूल नियमों के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है इसलिए आकस्मिक अवकाश की अवधि में सम्बन्धित कर्मी सभी प्रयोजनों के लिए छूटी पर माना जाता है। आकस्मिक अवकाश के दौरान किसी प्रतिस्थानी की तैनाती नहीं की जायेगी। यदि कार्यालय के कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है तो आकस्मिक अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी इसे निरस्त कर सकता है तथा सम्बन्धित कर्मी छूटी पर वापस बुला सकता है।

आकस्मिक अवकाश की सीमा:-

- (i) एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 14 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है।
- (ii) एक बार में 6 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए।
- (iii) रविवार, छुट्टियों एवं अन्य अकार्य दिवस (Non Working Day) यदि आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ते हैं तो उन्हें आकस्मिक अवकाश में नहीं जोड़ा जायेगा।

विशेष आकस्मिक अवकाश

- शा०सं०, बी-८२०/दो—बी-ज 55, दिनांक 27-12-1955 तथा एम०जी०ओ० के पैरा 882 के अनुसार राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने के लिए चयनित खिलाड़ियों को 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है।
- मान्यता प्राप्त सेवा संघों/परिसंघों के (जनपदीय व उच्च स्तरीय ईकाइयों के) अध्यक्ष एवं सचिव को संघ के कार्य के निम्नित एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 07 दिन का तथा कार्यकारिणी के सदस्यों को कार्यकारिणी बैठक में भाग लेने हेतु अधिकतम 04 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देय होगा। कार्यकारिणी के उन्हीं सदस्यों को यह सुविधा अनुमन्य होगी जो कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने हेतु बैठक के स्थान से बाहर से आयें। (शा०सं०-1694/का-1/83 दिनांक 5-7-83 तथा 1847/का-4-ई-एक-81-83 दिनांक 4-10-83)

आकस्मिक अवकाश पर मुख्यालय छोड़ने की पूर्व अनुमति:-आकस्मिक अवकाश लेकर मुख्यालय छोड़ने की दशा में सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अवकाश अवधि में पता एवं मोबाइल नम्बर भी सूचित किया जाना चाहिये।

समुचित कारण:-आकस्मिक अवकाश समुचित कारण के आधार पर ही स्वीकृत किया जाना चाहिए।

ऑनलाइन अवकाश आवेदन व निस्तारण प्रक्रिया:- अवकाश हेतु मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अधिकतम एक दिवस में एकल विद्यालय में वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति/अस्वीकृति, सक्षम स्तर द्वारा 3 कार्य दिवस के अन्दर की जायेगी।



2—चिकित्सा प्रमाण—पत्र पर अवकाश

स्थायी कर्मी:—सम्पूर्ण सेवाकाल में 12 माह तक का चिकित्सा प्रमाण—पत्र पर अवकाश नियमों द्वारा निर्दिष्ट चिकित्सकों द्वारा प्रदान किये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र पर स्वीकृत किया जा सकता है।

उपर्युक्त 12 माह का अवकाश समाप्त होने के पश्चात आपवादिक मामलों में चिकित्सा परिषद की संस्तुति पर सम्पूर्ण सेवाकाल में कुल मिलाकर 6 माह का चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अतिरिक्त अवकाश और स्वीकृत किया जा सकता है।

अस्थायी कर्मी:—ऐसे कर्मी को जो तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय से निरन्तर कार्यरत रहे हों, नियुक्ति नियमित हो, कार्य एवं आचरण सन्तोषजनक हो, सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो तथा उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित या विचाराधीन न हो, स्थायी कर्मी के ही समान 12 महीने तक चिकित्सा प्रमाण—पत्र पर अवकाश की सुविधा है, परन्तु 12 माह के पश्चात स्थायी कर्मी को प्रदान किया जा सकने वाला 6 माह का अतिरिक्त अवकाश इन्हें अनुमन्य नहीं है।

शेष सभी परिवीक्षाधीन कर्मी को चिकित्सा प्रमाण—पत्र के आधार पर सम्पूर्ण परिवीक्षाधीन सेवाकाल में चार माह तक अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

अवकाश वेतन:—

1—स्थायी कर्मी तथा तीन वर्षों से निरन्तर कार्यरत परिवीक्षाधीन कर्मी को 12 माह तक की अवधि तथा शेष परिवीक्षाधीन कर्मी को चार माह तक की अवकाश अवधि के लिये वह अवकाश वेतन अनुमन्य होगा, जो उसे अर्जित अवकाश का उपभोग करने की दशा में अवकाश वेतन के रूप में देय होता।

2—स्थायी कर्मी को 12 माह का अवकाश समाप्त होने के उपरान्त देय अवकाश के लिये अर्जित अवकाश की दशा में अनुमन्य अवकाश वेतन की आधी धनराशि अवकाश वेतन के रूप में अनुमन्य होती है। मूल नियम 87—क (2)

चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों का निर्धारण:

अधिकारी / कर्मचारी	प्राधिकृत चिकित्सक
समूह ग व घ के कर्मचारी	मेडिकल कालेज के रोग से संबंधित विभाग के रीडर/लेक्चरर। राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत समस्त श्रेणी के चिकित्साधिकारी। समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर।

चिकित्सा प्रमाण—पत्र पर अवकाश या अवकाश के विस्तार के लिए दिये गये आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र पर चिकित्सक द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र लगा होना चाहिए। —

स्वस्थता प्रमाण पत्र (Fitness Certificate):—चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश का उपभोग करने के उपरान्त किसी भी कर्मचारी को सेवा में योगदान करने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि उसके द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अपना स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता। यदि सक्षम अधिकारी चाहे तो अस्वस्थता के आधार पर लिये गये किसी अन्य प्रकार के अवकाश के मामले में भी उपर्युक्त स्वस्थता प्रमाण पत्र माँग सकता है।

3 माह या अधिक का चिकित्सा प्रमाण—पत्र पर अवकाश चिकित्सा परिषद की संस्तुति उपरान्त स्वीकृत किया जाएगा।

ऑनलाइन अवकाश आवेदन व निस्तारण प्रक्रिया:—

- मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन अवकाश आवेदन हेतु आवेदन—पत्र व चिकित्सीय प्रिस्क्रिप्शन प्रणाली में अपलोड किया जा सकेगा। सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी आवश्यकतानुसार एकल विद्यालयों में वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। चिकित्सा प्रमाण—पत्र अपलोड होने के 3 दिवस में खण्ड शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्थीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जायेगा।
- अवकाश अवधि 42 दिवस से अधिक (एक बार में ही अथवा लगातार अवकाश अवधि जोड़कर) होने की स्थिति में प्रकरण को खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। 3 दिवस में जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्थीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जायेगा।

- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित कार्मिकों के आवेदन पत्र अपलोड होने के 3 दिवस के भीतर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जायेगा।
- चिकित्सीय अवकाश समाप्त होने के पश्चात् ऑनलाइन ज्वाइनिंग अनिवार्य रूप से, स्वस्थता प्रमाण—पत्र (Fitness Certificate) पोर्टल पर अपलोड करते हुए की जाएगी।

3— मातृत्व अवकाश

मातृत्व अवकाश स्थायी अथवा परिवीक्षाधीन महिला सरकारी सेवकों को निम्नांकित दो अवसरों पर निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है—

1— प्रसूति के मामलों में:—

- यह अवकाश सम्पूर्ण सेवाकाल में दो बार अनुमन्य है।
- प्रसूतावस्था पर अवकाश प्रारम्भ होने के दिनांक से 180 दिन तक अवकाश देय है। अन्तिम बार स्वीकृत अवकाश के समाप्त होने के दिनांक से दो वर्ष व्यतीत हो चुके हो तभी दुबारा यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। परंतु वर्तमान में रिट याचिका संख्या 32394 /2019 व अन्य में पारित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 2 वर्ष के अंतर की बाध्यता को शिथिल करते हुये अवकाश स्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में कार्यालय के पत्रांक 4451 दिनांक 13 सितम्बर, 2022 के द्वारा प्रस्ताव प्रेषित है। अतः 2 वर्ष के अंतर की बाध्यता को शिथिल करते हुये अवकाश स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।
- यदि किसी महिला सरकारी सेवक के दो या दो से अधिक जीवित बच्चे हो तो उसे यह अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता, भले ही उसे अवकाश अन्यथा देय हो। यदि महिला सरकारी सेवक के दो जीवित बच्चों में से कोई भी बच्चा जन्म से किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो या दिव्यांग या अपंग हो अथवा बाद में इन बीमारियों/विकृतियों से ग्रस्त हो जाये तो सम्पूर्ण सेवाकाल में दो बार अनुमन्यता की शर्तों के अधीन रहते हुए उसे अपवादस्वरूप एक अतिरिक्त मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

ऑनलाइन अवकाश आवेदन व निस्तारण प्रक्रिया:—

- मानव सम्पदा पोर्टल पर अवकाश हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदन—पत्र, चिकित्सा प्रमाण—पत्र, कोई बच्चा न होने अथवा एक से अनधिक बच्चा न होने का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण—पत्र प्रणाली में अपलोड किया जायेगा। यथास्थिति दो जीवित बच्चों में से कोई भी बच्चा जन्म से किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो या दिव्यांग या अपंग हो अथवा बाद में इन बीमारियों/विकृतियों से ग्रस्त हो जाये तो सम्पूर्ण सेवाकाल में दो बार अनुमन्यता की शर्तों के अधीन रहते हुए उसे अपवादस्वरूप एक अतिरिक्त मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जायेगा। प्रकरण को खण्ड शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जायेगा।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित कार्मिकों के आवेदन पत्र अपलोड होने के 3 दिवस के भीतर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जायेगा।

2— गर्भपात एवं गर्भस्थाव के मामलों में:—

गर्भपात के मामलों में जिसके अन्तर्गत गर्भस्थाव भी है, प्रत्येक अवसर पर 6 सप्ताह का अवकाश देय है। अवकाश के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रदत्त साक्ष्य संलग्न होना चाहिए।

मातृत्व अवकाश को किसी प्रकार के अवकाश लेखे से नहीं घटाया जाता है तथा अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता है।




अवकाश वेतनः—मातृत्व अवकाश की अवधि में अवकाश पर प्रस्थान करने से ठीक पहले प्राप्त वेतन के बराबर अवकाश वेतन अनुमन्य होता है।

ऑनलाइन अवकाश आवेदन व निस्तारण प्रक्रिया:-

- मानव सम्पदा पोर्टल पर अवकाश हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदन—पत्र व चिकित्सा प्रमाण—पत्र प्रणाली में अपलोड किया जायेगा। स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी आवश्यकतानुसार एकल विद्यालयों में वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। आवेदन पत्र अपलोड होने के 3 दिवस में खण्ड शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जायेगा। प्रकरण को खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। 3 दिवस में जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जायेगा।
- जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित कार्मिकों के आवेदन पत्र अपलोड होने के 3 दिवस के भीतर जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जायेगा।

5—बाल्य देखभाल अवकाश

- महिला सरकारी सेवक को चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी, सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 730 दिनों का बाल्य देखभाल अवकाश मातृत्व अवकाश की शर्तों एवं प्रतिवर्धों के अधीन अनुमन्य होगा।
- यह अवकाश विशिष्ट परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी तथा परीक्षा आदि में देखभाल हेतु संतान की आयु 18 वर्ष होने की अवधि तक देय है। समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण—पत्र मान्य होगा।
- गोद ली गयी संतान के सम्बन्ध में भी यह अवकाश देय होगा। यह अवकाश दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए ही अनुमन्य होगा।
- सम्बन्धित महिला कर्मचारी के अवकाश लेखे में उपार्जित अवकाश देय होते हुए भी बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य होगा।
- बाल्य देखभाल अवकाश एक बार में सामान्यतया अधिकतम 30 दिनों के लिये दिया जायेगा। अवकाश उपभोग कर कार्यभार ग्रहण उपरान्त पुनः अवकाश दिया जा सकेगा। बाल्य देखभाल अवकाश एक कलेण्डर वर्ष के दौरान तीन बार से अधिक नहीं दिया जायेगा।
- बाल्य देखभाल अवकाश को 15 दिनों से कम के लिये नहीं दिया जायेगा।
- बाल्य देखभाल अवकाश को साधारणतया परिवीक्षा अवधि के दौरान नहीं दिया जायेगा विशेष परिस्थितियों में यदि परिवीक्षाधीन महिला सरकारी सेवक को बाल्य देखभाल अवकाश स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पड़ती है तो यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दिये जाने वाले अवकाश की अवधि कम से कम हो।
- बाल्य देखभाल अवकाश को अर्जित अवकाश के समान माना जायेगा और उसी प्रकार से स्वीकृत किया जायेगा।
- चुनाव/आपदा/जनगणना/बोर्ड परीक्षा ऊँटी अथवा विद्यालयी परीक्षाओं की अवधि व उससे 5 दिवस पूर्व की तिथियों हेतु प्राप्त बाल्य देखभाल अवकाश प्रकरणों को खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निस्तारित किया जायेगा। उक्त से भिन्न अवधियों हेतु प्राप्त बाल्य देखभाल अवकाश प्रकरणों (विद्यालय बन्द होने की स्थिति को छोड़कर) को खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से अग्रसारित किया जायेगा व जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकृत किया जायेगा। परन्तु सम्बन्धित कार्मिक अवकाश अवधि में राज्य स्तर से निर्धारित समयबद्ध लक्ष्यों की प्राप्ति के उत्तरदायित्व से मुक्त न रहेगा।
- बाल्य देखभाल अवकाश के कारण विद्यालय बन्द होने की स्थिति में सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी विद्यालय संचालन हेतु वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तत्पश्चात ही प्रकरण को जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकृत किया जायेगा।
- एक ही विद्यालय से एक से अधिक शिक्षकों के आवेदन की स्थिति में बाल्य देखभाल अवकाश प्रकरण में प्रथम आगत प्रकरण को पहले निस्तारित किया जायेगा।

ऑनलाइन अवकाश आवेदन व निस्तारण प्रक्रिया:-

- मानव सम्पदा पोर्टल पर अवकाश हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय चिकित्सा प्रमाण—पत्र/परीक्षा सम्बन्धी साक्ष्य (परीक्षा कार्यक्रम) तथा अपनी समस्त संतानों के जन्म प्रमाण—पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति प्रणाली में अपलोड किया जायेगा। गोद ली गयी संतान के सम्बन्ध में अवकाश लेने पर गोदनामा की स्वहस्ताक्षरित प्रति प्रणाली में अपलोड की जायेगी। स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन पत्र अपलोड होने के 3 दिवस में खण्ड शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जायेगा। प्रकरण को खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। 3 दिवस में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जायेगा।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित कार्मिकों के आवेदन पत्र अपलोड होने के 3 दिवस के भीतर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन किया जायेगा।

6— अर्जित अवकाश

अर्जित अवकाश स्थायी तथा परिवीक्षाधीन दोनों प्रकार के सरकारी सेवकों द्वारा समान रूप से अर्जित किया जाता है, तथा समान शर्तों के अधीन उन्हें स्वीकृत किया जाता है।

परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत समस्त प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष की पूर्ण सेवा पर 1 दिवस की दर से अर्जित किया जाता है।

ऐसे परिषदीय शिक्षक जो प्रतिनियुक्ति आदि पर ऐसे कार्यालय में कार्यरत हैं जहां पर कि उन्हें ग्रीष्मकालीन अवकाश देय नहीं है, उनके संबंध में ऐसे कार्यालय में कार्यरत रहने की अवधि में अर्जित अवकाश की गणना राजकीय कर्मचारियों की भाँति की जाएगी।

अर्जित अवकाश की एक बार में स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा

- यदि सम्पूर्ण अवकाश भारत में व्यतीत किया जा रहा हो — 120 दिन
- यदि सम्पूर्ण अवकाश भारत के बाहर व्यतीत किया जा रहा हो — 180 दिन
- अवकाश की कुछ अवधि भारत में तथा कुछ अवधि भारत के बाहर व्यतीत किये जाने पर भी 180 दिन तक का अवकाश इस प्रतिबन्ध के अधीन स्वीकृत किया जा सकता है कि भारत के बाहर व्यतीत की गयी अवकाश अवधि 120 दिन से अधिक नहीं होगी।

अवकाश वेतन:—अवकाश काल में सरकारी सेवक को अवकाश पर प्रस्थान के ठीक पहले प्राप्त होने वाले वेतन के बराबर अवकाश वेतन ग्राह्य होता है।

ऑनलाइन अवकाश आवेदन व निस्तारण प्रक्रिया:-

- मानव सम्पदा पोर्टल पर अवकाश हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय अवकाश मांगे जाने के कारण का साक्ष्य प्रणाली में अपलोड किया जायेगा। सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी आवश्यकतानुसार एकल विद्यालयों में वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। आवेदन पत्र अपलोड होने के 3 दिवस में खण्ड शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जायेगा। प्रकरण को खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित होने के उपरान्त 3 दिवस में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जायेगा।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित कार्मिकों के आवेदन पत्र अपलोड होने के 3 दिवस के भीतर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जायेगा।

7— असाधारण अवकाश

असाधारण अवकाश निम्न विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत किया जा सकता है—

- (i) जब अवकाश नियमों के अधीन कोई अन्य अवकाश देय न हो।
- (ii) अन्य अवकाश देय होने पर भी संबंधित कार्मिक असाधारण अवकाश प्रदान करने के लिए आवेदन करे।

स्थायी कर्मी:—को असाधारण अवकाश अधिकतम 5 वर्ष तक की अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकता है।

परिवीक्षाधीन कर्मी:—को देय असाधारण अवकाश की अवधि किसी एक समय में निम्नलिखित सीमाओं से अधिक न होगी—

- 3 मास
- 6 मास—यदि संबंधित सरकारी सेवक ने तीन वर्ष की निरन्तर सेवा अवकाश अवधि सहित पूरी कर ली हो तथा अवकाश के समर्थन में नियमों के अधीन अपेक्षित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।
- 18 मास—यदि संबंधित सरकारी सेवक ने एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो, और वह क्षय रोग अथवा कुष्ठ रोग का उपचार करा रहा हो तथा सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न किया हो।
- 24 मास— सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अवधि में 36 मास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए जनहित में भारत अथवा विदेश में अध्ययन करने के लिए इस प्रतिबन्ध के अधीन देय है कि संबंधित सेवक ने तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है।

अवकाश वेतन:—असाधारण अवकाश की अवधि के लिए कोई अवकाश वेतन देय नहीं है।

ऑनलाइन अवकाश आवेदन व निस्तारण प्रक्रिया:


- अवकाश हेतु आवेदन करते समय आवेदन—पत्र व अवकाश मांगे जाने के कारण का साक्ष्य प्रणाली में अपलोड किया जायेगा। स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी आवश्यकतानुसार एकल विद्यालयों में वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। आवेदन पत्र अपलोड होने के 5 दिवस में खण्ड शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 5 दिवस के भीतर किया जायेगा। प्रकरण को खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। 5 दिवस में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 5 दिवस के भीतर किया जायेगा।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित कार्मिकों के आवेदन पत्र अपलोड होने के 5 दिवस के भीतर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 5 दिवस के भीतर किया जायेगा।

8—ग्रीष्मावकाश में कार्य के बदले अर्जित/उपार्जित अवकाश

सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र संख्या बै०शि०प०/३६३०१-६१३/९८-९९ दिनांक 20-2-1999 के द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्र कर्मियों को ग्रीष्मावकाश में सक्षम अधिकारी के आदेश पर कार्य किये जाने के सापेक्ष अर्जित/उपार्जित अवकाश दिए जाते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्र कर्मियों को ग्रीष्मावकाश/शीतावकाश में सक्षम अधिकारी (शासन स्तर/राज्य स्तर) के आदेश पर कार्य किये जाने के सापेक्ष अर्जित/उपार्जित अवकाश उक्त पत्र दिनांक 20 फरवरी 1999 के अनुसार देय हैं।

9—प्रतिकर अवकाश

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों से लिये जाने वाले निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य शिक्षकों से न कराये जायें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 200 कार्य दिवस तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम 220 कार्य दिवस की अनिवार्यता है। अतः प्रतिकर अवकाश अनुमन्य नहीं होगा।

10—निर्बन्धित अवकाश

कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को निर्बन्धित अवकाश दिए जाते हैं। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को निर्बन्धित अवकाश अनुमन्य नहीं हैं।

11—अध्ययन अवकाश

राजकीय कार्मिकों को कार्मिकों को अध्ययन अवकाश दिए जाते हैं। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को अध्ययन अवकाश अनुमन्य नहीं हैं।

अवकाश अवधि एवं स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी:


क्र० सं०	अवकाश का नाम	अनुमन्य दिवसों की संख्या	आवेदक का पद नाम	स्वीकृतकर्ता का पदनाम
				1 2 3 4
1	आक्रियक अवकाश	शिक्षामित्र व अंश कालिक अनुदेशक—कमशः 11 व 10 दिवस प्रति संविदा वर्ष। अन्य समस्त को—14 दिवस प्रति कैलेन्डर वर्ष	प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक	खण्ड शिक्षा अधिकारी
			सहायक अध्यापक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/शिक्षामित्र/अंशकालिक अनुदेशक	4 दिवस तक प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक
			लिपिक संवर्ग	4 दिवस से अधिक खण्ड शिक्षा अधिकारी
2	चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश	समुख स्तम्भ 3 में अंकित समस्त कार्मिक—सेवाकाल में 12 माह पूर्ण वेतन पर व 06 माह अर्द्ध वेतन पर	प्रधानाध्यापक/ सहायक अध्यापक/ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	42 दिवस तक खण्ड शिक्षा अधिकारी
			लिपिक संवर्ग	42 दिवस से अधिक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
			प्रधानाध्यापक/ सहायक अध्यापक/ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/ शिक्षामित्र/ अंशकालिक अनुदेशक/लिपिक संवर्ग	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
3	मातृत्व अवकाश	समुख स्तम्भ 3 में अंकित समस्त महिला कार्मिक— 180 दिवस की दर से सेवाकाल में 2 बार।	प्रधानाध्यापक/ सहायक अध्यापक/ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/ शिक्षामित्र/ अंशकालिक अनुदेशक/लिपिक संवर्ग	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
4	गर्भपात अवकाश	समुख स्तम्भ 3 में अंकित समस्त महिला कार्मिक— 42 दिवस प्रति गर्भपात/गर्भस्नाव।	प्रधानाध्यापक/ सहायक अध्यापक/ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/लिपिक संवर्ग	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
5	बाल्य देखभाल अवकाश	समुख स्तम्भ 3 में अंकित समस्त महिला कार्मिक—सेवाकाल में 2 वर्ष	प्रधानाध्यापक/ सहायक अध्यापक/ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/लिपिक संवर्ग	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
6	अर्जित/उप अर्जित अवकाश	समुख स्तम्भ 3 में अंकित समस्त कार्मिक— 1 दिवस प्रति सेवावर्ष	प्रधानाध्यापक/ सहायक अध्यापक	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
		समुख स्तम्भ 3 में अंकित समस्त कार्मिक—31 दिवस प्रति सेवावर्ष	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/लिपिक संवर्ग	
7	असाधारण अवकाश	समुख स्तम्भ 3 में अंकित समस्त कार्मिक— सेवाकाल में 5 वर्ष	प्रधानाध्यापक/ सहायक अध्यापक/ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/लिपिक संवर्ग	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

अवकाशों के सम्बन्ध में अन्य सामान्य निर्देशः—


अवकाश का दावा अधिकार के रूप में नहीं:—किसी अवकाश का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है। जब जन सेवाओं की अनिवार्यतायें ऐसी अपेक्षा करती हों, तो किसी भी प्रकार के अवकाश को निरस्त करने या अस्वीकृत करने का अधिकार अवकाश प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित है।


OM: ANM: 10/87-B

- (i) अवकाश का प्रारम्भ एवं समाप्ति:—अवकाश साधारणतया कार्यभार छोड़ने के दिन से प्रारम्भ होता है तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के पूर्व दिवस को समाप्त होता है। अवकाश के प्रारम्भ होने के ठीक पहले व अवकाश समाप्ति के तुरन्त पश्चात् पड़ने वाले रविवार व अन्य मान्यता प्राप्त अवकाशों को अवकाश के साथ उपभोग करने की स्वीकृति अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है।
- (ii) अवकाश अवधि में अन्य व्यवसाय:—सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना कोई सरकारी सेवक अवकाश काल में कोई लाभप्रद व्यवसाय या नौकरी नहीं कर सकता है।
- (iii) अवकाश समाप्ति के पूर्व ऊटी पर वापसी:—अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी सरकारी सेवक स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के 14 दिन से अधिक समय पूर्व ऊटी पर वापस नहीं लौट सकता है।
- (iv) अवकाश की समाप्ति के पश्चात् अनुपस्थिति:—यदि कोई कर्मचारी अवकाश अवधि की समाप्ति के उपरान्त भी अनुपस्थित रहता है तो उसे ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के लिए कोई अवकाश वेतन देय नहीं होगा। अवकाशोपरान्त जानबूझकर सेवा से अनुपस्थिति मूल नियम 15 के प्रयोजन हेतु दुर्व्यवहार मानी जायेगी।
- (v) एक प्रकार के अवकाश के साथ/क्रम में दूसरे प्रकार के अवकाश की अनुमन्यता — किसी एक प्रकार के अवकाश को दूसरे प्रकार के अवकाश के साथ अथवा क्रम में स्वीकृत किया जा सकता है।
- (vi) अवकाश की प्रकृति में परिवर्तन:— अवकाश प्रदान करने वाले प्राधिकारी को अवकाश की प्रकृति में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है।
- (vii) अवकाश प्रदान करना:—अवकाश प्रार्थना पत्रों पर निर्णय करते समय सक्षम अधिकारी निम्नांकित बातों का ध्यान रखेंगे—
- क— कर्मचारी जिसके बिना उस समय सरलता से कार्य चलाया जा सकता है।
- ख— अन्य कर्मचारियों के अवकाश की अवधि।
- ग— पिछली बार लिये गये अवकाश से वापस आने के पश्चात् सेवा की अवधि।
- घ— किसी आवेदक को पूर्व में स्वीकृत अवकाश से अनिवार्य रूप से वापस तो नहीं बुलाया गया।
- ङ— आवेदक को पूर्व में जनहित में अवकाश अस्वीकृत तो नहीं किया गया।


अमरेन्द्र सिंह
उप शिक्षा निदेशक (प्राइमरी)


(राजेन्द्र प्रसाद)
वरिष्ठ विशेषज्ञ, स्कूल शिक्षा


(गणेश कुमार)
संयुक्त शिक्षा निदेशक, (बेसिक)


(राजेश सिंह बडोले)
उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद्


(सुनील मेत्रेय)
वित्त नियंत्रक, समग्र शिक्षा


(रोहित त्रिपाठी)
अपर परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा